मध्यप्रदेश शासन

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17

(माह दिसम्बर, 2016 तक)

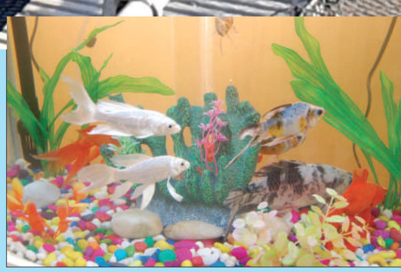

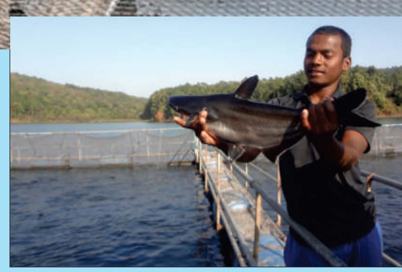

संचालनालय मत्स्योद्योग
मध्यप्रदेश

माननीय मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य द्वारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, भदभदा का अवलोकन।

माननीय मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य द्वारा विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक।

मध्यप्रदेश शासन

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17

(माह दिसम्बर, 2016 तक)

संचालनालय मत्स्योद्योग
मध्यप्रदेश

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 (दिसंबर 2016 तक)

मध्यप्रदेश शासन

1–	विभाग का नाम	**मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग**
2–	मंत्री, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	सुश्री कुसुम सिंह महदेले दिनांक 24.12.2013 से 18.07.16 श्री अन्तर सिहं आर्य दिनांक 19.07.2016 से निरन्तर।

मंत्रालय

1–	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त	श्री आर.के. स्वाई (आई.ए.एस.) 21.08.2014 से 31.08.2015 श्री ए.पी.श्रीवास्तव (आई.ए.एस.) 31.08.2015 से 23.09.2015 श्री प्रेमचन्द्र.मीना (आई.ए.एस.) 23.09.2015 से निरंतर
2–	प्रमुख सचिव का नाम	श्रीमती सलीना सिंह (आई.ए.एस.) 14–06–2012 से 25.06.2015 श्री अरुण तिवारी (आई.ए.एस.) 25–06–2015 से 30.06.2016 श्री अश्विनी कुमार राय (आई.ए.एस.) 02–07–2016 से 16.12.2016 3. श्री विनोद कुमार (आई.ए.एस.) 16.12.2016 से निरन्तर
3–	उप सचिव का नाम	श्रीमती शोभा ईवनाती 15.05.2013 से 12.3.2015 तक श्रीमती कमला अजीतवार 23.03.2015 से 31.10.2016 श्री प्रकाश चन्द्र जागडे (आई.ए.एस.) 22.11.216से निरन्तर
4–	अवर सचिव का नाम	श्रीमती कलिस्ता कुजूर 18.09.2014 से निरंतर

विभागाध्यक्ष

1—	संचालक मत्स्योद्योग का नाम	श्री यू. के. पुरोहित 28.02.2011 से 31.08.2016 श्री ओ.पी.सक्सेना 01.09.2016 से निरंतर

मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी (मर्या.) भोपाल

1—	प्रबंध संचालक का नाम	श्री यू. के. सुबुद्धी (आई.एफ.एस.) 24—08—2012 से 10.08.2016 श्री सतीश चन्द्र सिलावट (आई.एफ.एस.) 10.08.2016 से निरंतर

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मध्यप्रदेश

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 (दिसंबर 2016 तक)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
भाग–एक	
विभागीय संरचना	6–7
विभाग के दायित्व	9
विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	10–11
विभाग की प्रमुख गतिविधिया	12
महत्वपूर्ण सांख्यिकीय	13–17
भाग– दो	
बजट विंहगावलोकन वर्ष 2015–16 बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	18–21
बजट विंहगावलोकन वर्ष 2016–17 बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	22–24
भाग– तीन	
राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
अ– राज्य योजनाएं	25–39
ब– केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	40–43
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	44
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	45
केन्द्र क्षेत्र योजना	
स– विश्व बैंक सहायता की योजनाएँ	46

भाग– चार

सामान्य प्रशासनिक विषय वर्ष 2015–16	47–48
सामान्य प्रशासनिक विषय वर्ष 2016–17 दिसम्बर 2016 तक	49–50

भाग– पांच

अभिनव योजना	51–52

भाग– छः

सारांश	53–54
परिशिष्ट (एक) राज्यपाल का अभिभाषण	55
परिशिष्ट (दो) सिटीजन चार्टर	56–57
परिशिष्ट (तीन) महत्वपूर्ण सांख्यिकीय (दिसम्बर 2016 तक)	58–62
परिशिष्ट (चार) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005	63–64

भाग– सात
(महिला खण्ड)

महिला समितियों/समूह की मछली पालन में भागीदारी वर्ष 2015–16	65–66
भावी योजनाएं	67
सफलता की कहानी	68–74

भाग– आठ

मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित भोपाल का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2015–16 एवं 2016–17 (दिसंबर 2016 तक)	75–90

मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

भाग–एक

विभागीय संरचना

विभाग का नियंत्रण प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अधीन है। संयुक्त रूप से विभाग का शुभारंभ वर्ष 1957–58 से हो कर वर्ष 1964 में पृथक मत्स्योद्योग विभाग की स्थापना हुई तब से लगातार मत्स्योद्योग विभाग के कार्यक्रमों का विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश के मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालनालय मत्स्योद्योग मध्य प्रदेश कार्यरत है। राज्य की मत्स्य सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था – मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी (मर्यादित) भोपाल राज्य के 1000 हैक्टर से बड़े जलाशयों के विकास एवं प्रबंधन हेतु कार्यरत है। संचालनालय मत्स्योद्योग में प्रथम श्रेणी के 5, द्वितीय श्रेणी 7 तथा 70 तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं । प्रदेश में माह मार्च 2016 तक 773 अमला कार्यरत है, प्रदेश में स्वीकृत एवं रिक्त पदों तथा कार्यरत कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	श्रेणी	स्वीकृत पद	पदों पर कार्यरत संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रथम	18	13	5
2	द्वितीय	67	39	28
3	तृतीय	705	350	355
4	चतुर्थ (नियमित)	362	224	138
5	चतुर्थ (नैमित्तिक)	238	147	91
य	योग	**1390**	**773**	**617**

विभाग का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। मुख्यालय प्रशासकीय नियंत्रण, योजना तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन नीति निर्धारण, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के लिये उत्तरदायी है। प्रदेश के 51 जिलों में कार्यालय स्थापित हैं।

इसके अतिरिक्त संचालनालय के सीधे नियत्रंण में 4 राज्य स्तरीय कार्यालय है :–

1– मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान नौगांव, छतरपुर ।

2– मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र पौण्डी (मैहर), सतना।

3– मत्स्यालय भोपाल ।

4– अनुसंधान इकाई पातरा भोपाल ।

मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ प्राथमिक मत्स्य सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है। राज्य शासन द्वारा 19 जलाशय तथा 05 मत्स्यबीज प्रक्षेत्र मत्स्य विकास और विपणन हेतु सौंपे गए हैं । मत्स्य महासंघ में 161 कर्मचारी कार्यरत हैं।

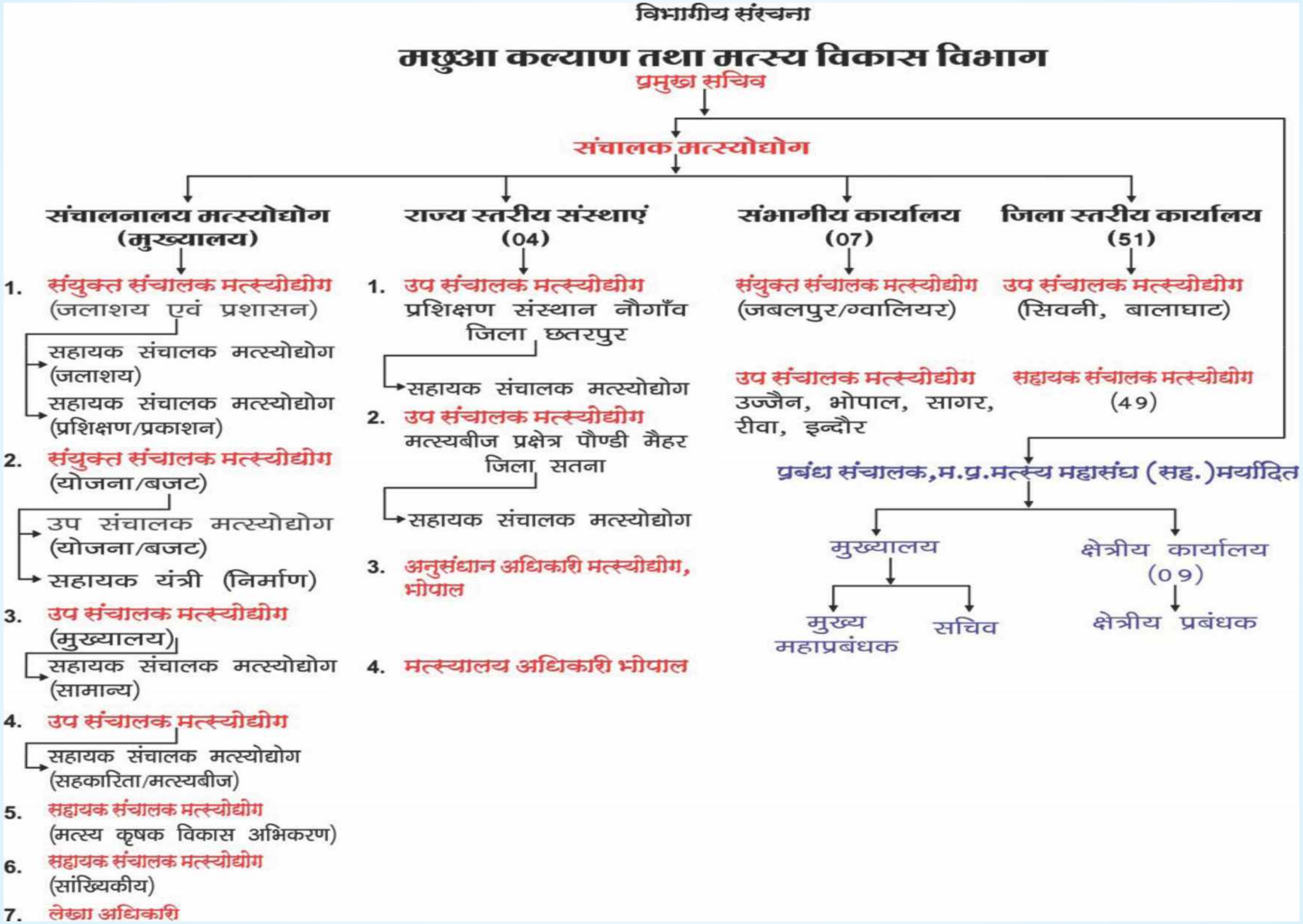
विभागीय संरचना
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
प्रमुख सचिव
संचालक मत्स्योद्योग
संचालनालय मत्स्योद्योग (मुख्यालय)
1. संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग (जलाशय एवं प्रशासन)
सहायक संचालक मत्स्योद्योग (जलाशय)
सहायक संचालक मत्स्योद्योग (प्रशिक्षण/प्रकाशन)
2. संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग (योजना/बजट)
उप संचालक मत्स्योद्योग (योजना/बजट)
सहायक यंत्री (निर्माण)
3. उप संचालक मत्स्योद्योग (मुख्यालय)
सहायक संचालक मत्स्योद्योग (सामान्य)
4. उप संचालक मत्स्योद्योग
सहायक संचालक मत्स्योद्योग (सहकारिता/मत्स्यबीज)
5. सहायक संचालक मत्स्योद्योग (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण)
6. सहायक संचालक मत्स्योद्योग (सांख्यिकीय)
7. लेखा अधिकारी
राज्य स्तरीय संस्थाएं (04)
1. उप संचालक मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान नौगाँव जिला छतरपुर
सहायक संचालक मत्स्योद्योग
2. उप संचालक मत्स्योद्योग मत्स्यबीज प्रक्षेत्र पौण्डी मैहर जिला सतना
सहायक संचालक मत्स्योद्योग
3. अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग, भोपाल
4. मत्स्यालय अधिकारी भोपाल
संभागीय कार्यालय (07)
संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग (जबलपुर/ग्वालियर)
उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, इन्दौर
जिला स्तरीय कार्यालय (51)
उप संचालक मत्स्योद्योग (सिवनी, बालाघाट)
सहायक संचालक मत्स्योद्योग (49)
प्रबंध संचालक, म.प्र.मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित
मुख्यालय
मुख्य महाप्रबंधक
सचिव
क्षेत्रीय कार्यालय (09)
क्षेत्रीय प्रबंधक

विभाग के कार्य/दायित्व

1– मछली पकड़ने के लिये सभी नदियों, जलाशयों तथा तालाबों का विकास।

2– मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों, की स्थापना तथा प्रबंधन।

3– मत्स्य पालन अंतर्गत मछलियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन।

4– मछली के संवर्धन विस्तार तथा विकास के लिए शोध।

5– मछली पकड़ने की पद्धति का विकास तथा विनियमन।

6– मत्स्य विपणन तथा विदोहन।

7– अन्य खाद्य जल प्राणियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन।

8– ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध अन्य विषय।

विभाग से सम्बंधित सामान्य जानकारी
वर्ष 2015–16

मत्स्योद्योग विभाग प्रदेश में मत्स्य विकास और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, जिस हेतु विभाग, उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सतत् प्रयासरत है।

प्रदेश में 4.04 लाख हैक्टर जलक्षेत्र जलाशय, पोखर और तालाब के रूप में उपलब्ध है, जिसमें 3.375 लाख हैक्टर जलक्षेत्र जलाशय का तथा 0.665 लाख हैक्टर जलक्षेत्र ग्रामीण तालाब एवं पोखर का सम्मिलित है, इसमें से 3.96 लाख हैक्टर जलक्षेत्र मत्स्य पालन अन्तर्गत लाया जा चुका है, जिसमें 3.325 लाख हैक्टर जलाशय का तथा 0.635 लाख हैक्टर ग्रामीण तालाबों एवं पोखरों का है ।

उपरोक्त जलक्षेत्र में 2.10 लाख हैक्टर के 20 जलाशय मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ म.प्र. शासन म.क.म.वि.वि.मत्रालय.वल्लभ भवन भोपाल पत्रांक एफ.7–/2016/36 दिनांक 8.1.16 के आदेशानुसार 2311 है. जलक्षेत्र के 2 विभागीय जलाशय महासंघ को 1.4.216से हस्तातरित) तथा 0.132 लाख हैक्टर के 41 जलाशय विभागाधीन एवं 1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के 1.010 लाख हैक्टर औसत जलक्षेत्र के 2,999 सिंचाई जलाशय पंचायत राज संस्थाओं को मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1548/2008/36 दिनांक 08.10.2008 से हस्तांतरित किये गये है तथा अन्य स्वामित्व का 0.143 लाख हैक्टर जलक्षेत्र मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध है।

विवरण	श्रेणी	जलाशय (संख्या)	जलक्षेत्र (हैक्टर)
ग्राम पंचायत	0–10 हैक्टर तक	872	5,558
जनपद पंचायत	10–100 हैक्टर तक	1,948	54,548
जिला पंचायत	100–1000 हैक्टर तक	179	40,972
य	**योग**	**2,999**	**1,01078**

प्रदेश में चार नदी कछार यथा नर्मदा, गंगा, ताप्ति तथा माही हैं, जिनका जाल 17,088 किलोमीटर लम्बाई में फैला हुआ है ।

मत्स्यबीज मछलीपालन की मुख्य निविष्टि है । प्रदेश में मत्स्यबीज उत्पादन में विभाग के साथ–साथ निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज उत्पादक एवं मत्स्यबीज संवर्धनकर्ता भी कार्यरत है,

प्रदेश की मत्स्यबीज की वार्षिक मांग 102.64 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई है । वर्तमान में राज्य का कुल मत्स्यबीज उत्पादन 95.20 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई है, जो93.00 करोड़ के लक्ष्य के विपक्ष में उपलब्धि 97.05 प्रतिशत रही ।

मध्यप्रदेश में सभी स्त्रोतों से 115016.56 टन मत्स्योत्पादन हुआ, जिसमें ग्रामीण एवं अन्य तालाबों से 65381.91 तथा जलाशयों से 31874.00 टन नदियों से 17760.65 टन प्राप्त हुआ। ग्रामीण तालाब से प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता 1414 किलो प्रति हैक्टर तथा सिंचाई जलाशयों में मत्स्य उत्पादकता 107 किलो प्रति हैक्टर है।

प्रदेश में मत्स्य विकास मछुआ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, वर्तमान में 2185 मछुआ सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं, जो तालाब/जलाशय पट्टे पर लेकर तथा नदियों में मत्स्यपालन/मत्स्याखेट का कार्य करती हैं ।

राज्य शासन द्वारा मत्स्य सहकारी समितियों/मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन संबंधी विभिन्न कार्यो हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । उनको दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है । वित्तीय वर्ष में 1,80,988 मछुओं को शासकीय व्यय पर दुर्घटना बीमा किया गया है ।

वर्ष 2002–03 में केन्द्र प्रवर्तित "बचत–सह–राहत" योजना बंद ऋतु अवधि में मछुओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में लागू की गई है जिसमें पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के सक्रिय सदस्यों द्वारा माह सितम्बर से माह मई तक कुल 9 माह रूपये 100/– प्रतिमाह की दर से बैंक/पोस्ट आफिस में जमा कराया जाता है। वर्ष 2015–16 से हितग्राहियों द्वारा कुल रूपये 900/–जमा किए जाते हैं, इसके समतुल्य राशि रूपये 900/राज्य शासन द्वारा

राज्यांश एवं केंद्रांश रूपये 900/– कुल रूपये 2700/– शासन द्वारा जो हितग्राहियों को बंद ऋतु के समय रूपये 1350/–प्रतिमाह के मान से ब्याज सहित वर्ष के जून एवं जुलाई माह में देय है।

मत्स्य विकास की नवीन तकनीकी में सतत् अग्रसर होने के लिये विभागीय अधिकारियों को केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकीय संस्थान, बैरकपुर, केन्द्रीय मात्स्कीय शिक्षण संस्थान–मुंबई की सॉल्टलेक इकाई कोलकाता, केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान–भुवनेश्वर में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है । विभाग के तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक कर्मचारियेां को मत्स्योद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव, जिला छतरपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

राज्य के मछुआरो को 15 दिवस का निःशुल्क प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है।

विभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

1. मत्स्य कृषकों को उन्नत क़िस्म का मत्स्यबीज उपलब्ध कराया जाता है।
2. उन्नत मत्स्य पालन तकनीकी ग्रामीण स्तर तक विस्तारित/प्रचार–प्रसार क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारी मैदानी क्षेत्र पर जाकर सलाह देते है ।
3. मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न वर्ग के हितग्राहियों को व्यावसायिक बैंकों से ऋण उपलब्ध करा कर अनुदान दिया जाता है ।
4. मछुआ कल्याण हेतु राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाएं यथा समूह बीमा, मछुआ आवास इत्यादि संचालित है । बचत–सह–राहत राष्ट्रीय योजना वर्ष 2002–03 से प्रांरभ की गई है ।
5. फरवरी 2010 से फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना 3 प्रतिशत व्याज दर से लागू की गई जिसे वर्ष 2011–12 से 1 प्रतिशत तथा वर्ष 2012–13 से शून्य प्रतिशत ब्याज़ दर पर मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।
6. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर देकर मत्स्य पालन के साधन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति हेतु कार्य करना तथा मत्स्योत्पादकता में वृद्धि करना ।
7. विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समय–सीमा निर्धारित की गई है जिसके तहत विभागीय योजना/कार्यक्रमों की जानकारी मत्स्याखेट, पट्टे प्रकरण, ऋण, अनुदान मछुआ प्रशिक्षण तथा कल्याणकारी कार्यो में संबंधित सेवा 15–30 दिन में प्रदाय करना। (परिशिष्ट–दो) पृ0 क्र. 56–57
8. मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय का विवरण (परिशिष्ट–तीन) पृ0 क्र. 58–62
9. सूचना का अधिकार 2005 के तहत समस्त जिलों में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर लागू किया गया है। संचालनालय स्तर पर श्री एच.के खरे, उप संचालक मत्स्योद्योग (मुख्यालय)) को लोक सूचना अधिकारी एवं श्री ए .के. श्रीवास्तव., सहायक संचालक मत्स्योद्योग जलाशय को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है । (परिशिष्ट–चार) पृ0 क्र. 63–64

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

मध्यप्रदेश एक दृष्टि में वर्ष 2015–16

क्र.	विवरण		जलक्षेत्र (लाख हेक्टे.)
1	**मछली पालन के लिए उपलब्ध जलक्षेत्र**		
	अ– सिंचाई		3.375
	ब– ग्रामीण		0.665
	योग		**4.040**
1.1	**मत्स्य पालन अंतर्गत जलक्षेत्र**		
	अ– सिंचाई		3.325
	ब– ग्रामीण		0.635
	योग		**3.960**
	नदियों एवं सहायक नदियों की लम्बाई 17088 किलोमीटर है		
2	**मत्स्य बीज उत्पादन के स्त्रोत**		
2.1	हैचरी संख्या		69
2.1.1	विभाग		34
2.1.2	मत्स्य महासंघ		05
2.1.3	निजी क्षेत्र		30
2.2	संवर्धन जलक्षेत्र (हैक्टर)		
2.2.1	विभागीय मत्स्यबीज प्रक्षेत्र	120	119.92
2.2.2	विभाग अंतर्गत मौसमी संवर्धन जलक्षेत्र	33	41.00
2.2.3	मत्स्य महासंघ के मत्स्यबीज प्रक्षेत्र	5	22.50
	मत्स्य महासंघ का संवर्धन जलक्षेत्र	197	394.36

2.2.4	निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज प्रक्षेत्र/पोखर		333	387.13
2.2.5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संवर्धन क्षेत्र		131	131.00
3	**मत्स्यबीज की आवश्यकता स्टेण्डर्ड फ्राई (करोड़)**			102.64
3.1	मत्स्यबीज की पूर्ति स्टेण्डर्ड फ्राई (करोड़)			90.25
4	**मत्स्यबीज उत्पादन**	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि (लाख)	प्रतिशत
	अ– स्पॉन	45500.00	39127.00	85.99
	ब– स्टेण्डर्ड फ्राई	10500.00	9520.90	90.68
5	**मत्स्यबीज संचयन (स्टेण्डर्ड फ्राई)**	9300.00	9025.60	97.05
6	**मत्स्योत्पादन (टन)**	122000.00	115016.56	94.28
7	**मत्स्य उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टर)**			
	अ– जलाशयों से			107
	ब– ग्रामीण तालाबों से			1414
8	**मछुआ सहकारिता**			

प्रदेश में वर्ष 2015–16 तक कुल 2185 मछुआ सहकारी समितियाँ, सदस्य संख्या–81783

क्र.	वर्ग	मछुआ सहकारी समितियॉ	
		समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य	1426	58,854
2	अनुसूचित जनजाति	585	17,953
3	अनुसूचित जाति	174	4,976
	योग	2185	81,783

उपरोक्त समितियों में महिला समिति 48 सदस्य संख्या 1691 शामिल है ।

		लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि (लाख)	प्रतिशत
9	रोजगार सृजन (लाख)			
	मानव दिवस	200.00	211.18	105.59
10	विभागीय आय	83.15	591.27	711.09
11	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को मत्स्य पालन से आय			
11.1	ग्रामीण तालाबों से		71.40	
11.2	सिंचाई जलाशयों से		85.146	

12. मछुओं का दुर्घटना बीमा वर्ष 2015–16

	वर्ग	लक्ष्य संख्या	पुरूष वर्ग	महिला वर्ग	कुल योग
अ	अनुसूचित जनजाति	43,155	33,066	13,331	46,397
ब	अनुसूचित जाति	12,544	8,939	3,729	12,668
स	सामान्य	1,19,500	85,612	36,311	1,21,923
	योग	1,75,199	1,27,617	53,371	1,80.988

13. प्रशिक्षण –

विभागीय मछुआ प्रशिक्षण

	वर्ग	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या	प्रतिशत
अ	अनुसूचित जनजाति	1,944	1902	98
ब	अनुसूचित जाति	625	572	92
स	सामान्य	3,373	3,302	98
	योग	5,942	5,776	97

14. नवीन रूप से विकसित जलक्षेत्र

क्र.	विवरण	ग्रामीण	निजी	सिंचाई	योग
1	तालाब (संख्या)	419	18	34	471
2	जलक्षेत्र (हैक्टर)	838.16	11.62	1168.25	2018.03

15. मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता (अनुदान रू. लाख में)

(अ) विभाग

क्र.	वर्ग	आवंटन	व्यय	प्रतिशत	लाभान्वित हितग्राही संख्या
1	सामान्य	45.05	41.42	91.94	1497
2	अनुसूचित जनजाति मत्स्यपालक	26.79	25.02	93.39	924
3	अनुसूचित जाति मत्स्यपालक	7.45	6.49	87.11	325
	योग	79.29	72.93	91.98	2746

(ब) मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (वर्ष 2015–16)

क्र.	विवरण	ऋण			अनुदान		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लाभांवित हितग्राही	लक्ष्य	उपलब्धि	लाभांवित हितग्राही
1	मत्स्य कृषक	1035.00	541.35	1018	220.40	168.71	1758

16. मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता

क्र.	वर्ग	अनुदान (रूपये लाख में)			
		आवंटन	व्यय	समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य	77.30	72.82	341	8,525
2	अनुसचित जनजाति	27.48	23.72	114	2,925
3	अनुसूचित जाति	6.52	5.49	25	625
	योग	111.30	102.03	483	12,075

17. बचत–सह–राहत योजना –

बचत–सह–राहत योजना में वर्ष 2015–16 के लिये समितियों के सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु उनके खाते के लिए जमा राशि रूपये 290.58 लाख का प्रावधान रखा गया । वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार हितग्राही लाभान्वित हुए ।

वर्ग	हितग्राही संख्या	भुगतान की गई राशि (रूपये)
सामान्य	8,666	155.99
अनुसूचित जन जाति	1,628	29.31
अनुसूचित जाति	522	9.39
योग	10,816	194.69

18. सिचांई/ग्रामीण तालाब पट्टा आवंटन

	विवरण	सिंचाई जलाशय	ग्रामीण तालाब
अ	तालाब (संख्या)	91	504
ब	जलक्षेत्र (हेक्टयर)	3,196.43	1,045.20
स	हितग्राही (संख्या)	2,635	2,379

19. आदर्श मत्स्य आहार योजना –

ग्रामीण तालाबों की मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु वर्ष 2012–13 से आदर्श मत्स्य आहार योजना आरंभ की गई । योजना में 1.00 हैक्टेयर तक के तालाब हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर रूपये 50 हजार का मत्स्य आहार मत्स्य कृषक को उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2015–16 में रूपये 50.09 लाख का मत्स्य आहार मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया गया है।

भाग – दो
बजट सिंहावलोकन
वर्ष 2015–16

(रूपये लाख में)

घटक	अनुदान		बजट प्रावधान		व्यय	
			आयोजनेत्तर	आयोजना	आयोजनेत्तर	आयोजना
1	2		3	4	5	6
सामान्य क्षेत्र	16	मछली पालन	4,383.26	2,679.31	3205.09	1852.46
		डिक्री धन भारित	6.00	0.00	1.44	0.00
	74	त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	388.99	0	343.25
		योग	0	3,068.30	0	2,195.71
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	0	469.29	0	354.84
	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	128.69	0	110.81
		योग	**0**	**597.98**	**0**	**465.65**
	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
	अ	बुंदेलखण्ड क्षेत्र विकास सामान्य	-	333.00	-	150.11
	ब	बुंदेलखण्ड क्षेत्र विकास अनुसूचित जाति उपयोजना		220.00	-	0.00
		योग		553.00		150.00
विशेष	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	0	184.76	0	133.45

घटक योजना	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	38.66	0	28.53
		योग	**0**	**223.42**	**0**	**161.98**
		कुल योग	0	4,476.27	0	2,993.70
		डिग्री धन का भुगतान	6.00	0	1.44	
		महायोग	**4,383.26**	**4,442.70**	**3206.53**	**2,973.34**

भाग – दो
योजनावार लक्ष्य, बजट प्रावधान एवं व्यय
वर्ष 2015–16

(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6
अ–	2405 राज्य योजनाएं				
1	निर्देशन और प्रशासन	–	0	13.00	12.38
2	जलाशय तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास	टन	1,22, 000	241.04	145.15
3	मत्स्यबीज उत्पादन (स्टेण्डर्ड फ्राई)	लाख	10500	973.92	819.01
4	अ– विस्तार और प्रशिक्षण	संख्या	0	32.00	17.13
	ब– मछुआ प्रशिक्षण	संख्या	5942	74.35	72.00
5	मत्स्यालय	संख्या	0	10.00	5.00
6	मत्स्य पालन प्रसार	संख्या	3749	79.29	72.93
7	मछुआ सहकारिता / अनुदान	संख्या	539	111.30	102.03
8	सूचना एवं प्रौद्योगिकी		-	6.01	5.97
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		-	1088.32	801.69
10	मछुआ क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	संख्या	14000	10.00	10.00
11	आदर्श आहार योजना		-	50.00	50.00
12	पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय जबलपुर		-	153.00	153.00
13	बुंदेलखण्ड पैकेज		-	553.00	150.00
	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (राज्य आयोजना)				
14	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण				
	(स्थापना)	जलक्षेत्र	1000	70.00	67.20

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6
	विकासात्मक			110.00	84.22
15	मछुआ आवास (कालोनी)	संख्या	500	202.75	48.00
16	मछुआ दुर्घटना बीमा	संख्या	175199	18.98	18.35
17	बचत सह राहत योजना	संख्या	10816	145.29	97.35
	योग 2405			**3,942.96**	**2,731.41**
18	2415– कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	-	0	0
19	2415 व्यवहारिक अनुसंधान	–	-	6.00	5.01
20	4405–मीन उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय मत्स्यबीज उत्पादन	–	-	15.00	7-37
	विस्तार और प्रशिक्षण	–	-	20.00	00
	योग 4405–	–	**-**	**35.00**	**7.37**
ब–	**अ– योग राज्य योजना**	–	-	3983.95	2743.79
1	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (केन्द्रांश)	–	-		
2	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अनुदान	–	-	110.70	84.22
3	मछुआ आवास	संख्या	500	202.75	48.00
4	बचत–सह–राहत	संख्या	10816	145.29	97.34
स–	**ब– योग केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश)**			458.74	229.55
1	केन्द्र क्षेत्र योजना (केन्द्रांश)				
	विश्व बैंक योजना (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.)			0.00	0.00
	महायोग अ+ब+स			**4442.70**	**2973.34**

भाग – दो

बजट सिंहावलोकन

वर्ष 2016–17 (अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक)

(रूपये लाख में)

घटक	अनुदान		बजट प्रावधान				व्यय	
			आयोजनेत्तर	विमुक्त राशि	आयोजना	विमुक्त राशि	आयोजनेत्तर	आयोजना
सामान्य क्षेत्र	16	मछली पालन	4414.75	4424.57	3988.70	3024.41	2624.02	1672.73
	74	त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			426.06	278.06	-	247.48
	61	बुन्देल खण्ड पैकेज			71.02	71.02	-	70.80
		योग			**4485.78**	**3379.49**	**-**	**1991.02**
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना			535.99	402.36	-	253.75
	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			145.92	88.10	-	84.16
		योग			**681.91**	**490.46**	**-**	**337.91**
अनुसूचित जाति उप योजना	64	अनुसूचित जाति उप योजना			212.15	115.81	-	76.33
	15	अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			48.78	30.56	-	25.67
	61	बुन्देल खण्ड पैकेज			0.02	0.02		0
		योग			**260.95**	**146.39**	**2624.02**	**102.00**
		महायोगः :	**4414.75**	**4424.57**	**5428.64**	**4010.34**	**2624.02**	**2430.93**

भाग – दो
योजनावार लक्ष्य, बजट प्रावधान एवं व्यय
वर्ष 2016–17 (अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक)

(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
अ–	**2405 राज्य योजनाएं**					
1	निर्देशन और प्रशासन	–	-	15.00	13.50	9.39
2	जलाशय तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास (–)बी.सी.ओ से बी.सी.ओ.	–	130000	198.64	178.78 -41.51 137.27	100.35
3	मत्स्यबीज उत्पादन (स्टेण्डर्ड फ्राई) (–)बी.सी.ओ से बी.सी.ओ.	लाख	10700	1041.81	937.63 -289.43 648.20	598.46
4	अ– विस्तार और प्रशिक्षण	लाख		20.00	18.00	14.07
	ब– मछुआ प्रशिक्षण		4606	127.84	115.06	107.72
5	मत्स्यालय	संख्या		20.00	18.00	10.81
6	मत्स्य पालन प्रसार	संख्या	2762	82.85	74.56	68.22
7	मछुआ सहकारिता / अनुदान	संख्या	556	111.27	100.14	91.96
8	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	संख्या		12.00	10.80	8.06
9	मछुआ क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण ब्याज अनुदान)	संख्या	10000	15.00	13.50	6.05
10	आदर्श आहार योजना	0		40.00	36.00	35.71
11	पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय जबलपुर	0		1.00	0.90	0
12	बुन्देल खण्ड पैकेज	0		71.04	71.04	70.80
13	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण					

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
	स्थापना व्यय विकासात्मक		1000	55.00	55.00	37.45
14	विकासात्मक	संख्या		121.91	25.98	25.98
15	मछुआ आवास	संख्या	500	45.75	45.75	45.00
16	मछुआ दुर्घटना बीमा	संख्या	180988	20.00	20.00	18.81
17	आर.के.व्ही.वाय.योजना	संख्या		594.00	193.42	159.10
18	नील क्रान्ति योजना	संख्या		100.00	100.00	0.00
19	बचत सह राहत योजना		19549	175.94	147.95	145.08
20	सब मिशन रेन फन्ड एरिया डेवलपमेण्ट			0.01	0.01	0
21	2415 व्यवहारिक अनुसंधान	0		5.00	4.50	3.200
19	4405– मीन उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय मत्स्यबीज उत्पादन	0		0	0	0
20	विस्तार और प्रशिक्षण	0		20.00	20.00	20.00
	योग 4405	**0**				
	योग राज्य योजना	**0**		**2919.06**	**1470.08**	**1576.22**
ब–						
1	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अनुदान	0		121.89	25.98	25.98
2	मछुआ आवास	संख्या	500	45.75	45.75	45.00
3	बचत सह राहत		19549	175.94	147.95	145.06
4	आर.के.व्ही.वाय योजना			891.00	290.14	238.66
5	नील क्रान्ति योजना			1300.00	1300.00	400.00
	योग			**2534.58**	**1809.82**	**854.70**
	महायोग योग			**5453.64**	**3279.90**	**2430.92**

भाग–तीन
राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) राज्य योजना–

1. मत्स्यबीज उत्पादन–

मछली बीज मत्स्यपालन की प्रथम आवश्यकता है। राज्य में मत्स्य बीज की आवश्यकता वर्ष 2015–16 की पूर्ति के लिये 10500 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित थे, इसके विरूद्ध 9520.90 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ (90.68 प्रतिशत) माह दिसंबर 2016 तक 10716.57 लाख मत्स्य बीज उत्पादन हुआ।

विगत तीन वर्षों में मत्स्य बीज उत्पादन की उपलब्धियाँ निम्नानुसार रहीं–

(स्टेण्डर्ड फ्राई लाख)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2013–14	8680	9630.81	110.95
2014–15	9080	10018.82	110.34
2015–16	10500	9520.90	90.68
2016–17 (दिसंबर 16 तक)	10700	10716-57	100.15

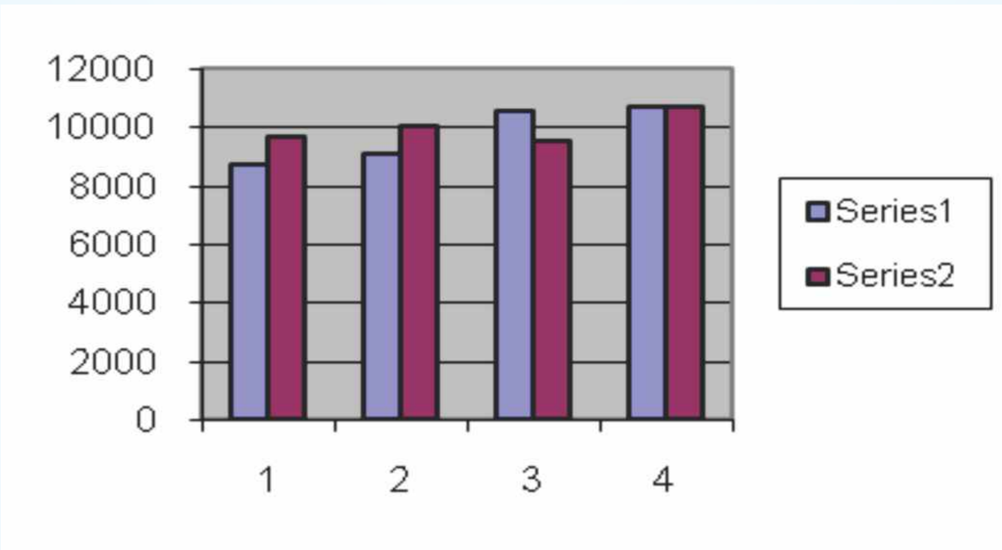

सारिज–1 लक्ष्य
सीरिज–2 उपलब्धि

2. सिंचाई जलाशयों में मत्स्य विकासः :–

योजना के तहत नदियों एवं जलाशयों के विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। राज्य के उपलब्ध जलक्षेत्र का 82.17 प्रतिशत भाग सिंचाई जलाशयों का मत्स्य पालन अंतर्गत है, जिनका विकास एवं प्रबंधन निम्नानुसार संस्थाओं के पास है।

संस्था	जलक्षेत्र हैक्टर
मत्स्य महासंघ	210000
त्रि–स्तरीय पंचायत	101078
विभाग	13238
अन्य	14300

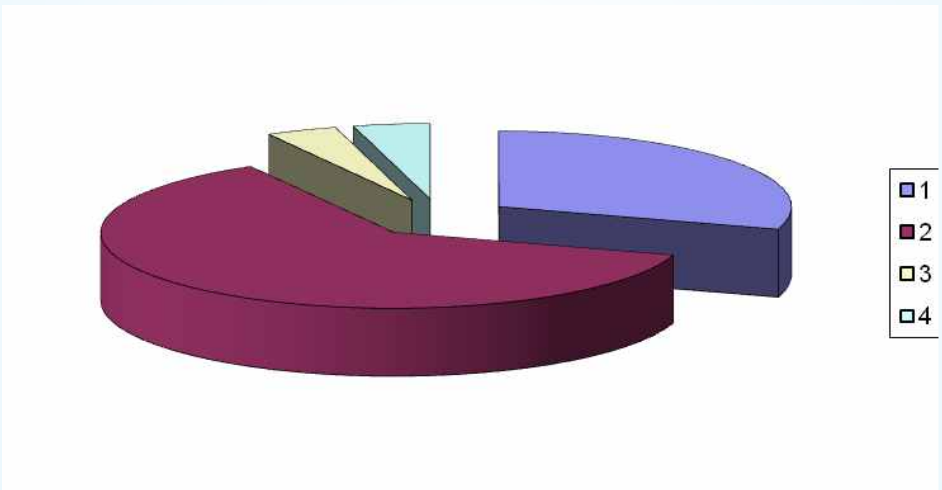

1. त्रि–स्तरीय पंचायत 2. महासंघ 3. अन्य 4. विभाग

3. राज्य के तालाब/जलाशयों में मत्स्यबीज संचयन :–

वर्ष 2015–16 में मध्यप्रदेश के लिए 9300 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई/मत्स्य बीज संचयन के लक्ष्य थे, इसके विरूद्ध 9025.60 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का संचयन किया गया, जो लक्ष्य का 97.05 प्रतिशत रहा । माह दिसंबर 2016 तक 9214 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई के विपक्ष में 9847.29 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई/मत्स्य बीज संचयन का कार्य किया गया, जो कि उपलब्धि का 106.87 प्रतिशत है, एवं विगत तीन वर्षों में माह दिसंबर तक सर्वाधिक मत्स्य बीज संचयन है।

विगत वर्ष में राज्य के पोखर/तालाब/जलाशय में निम्नानुसार मत्स्यबीज संचयन किया गया :–

(स्टेण्डर्ड फ्राई लाख)

वर्ष	लक्ष्य	संचित मत्स्यबीज
2014–15	8846	9324-93
2015–16	9300	9025-60
2016–17 (दिसंबर 16 तक)	9214	9847-29

4. राज्य में मत्स्योत्पादन –

वर्ष 2015–2016 मध्यप्रदेश के लिए 122000 टन के लक्ष्य थे, जिसके विरूद्ध 115016.56 टन का मत्स्योत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 94.28 प्रतिशत रहा। विगत वर्ष में राज्य के पोखर/तालाब/जलाशय से मत्स्योत्पादन निम्नानुसार रहा। वर्ष 2016–17 में माह दिसंबर 2016 तक मत्स्य उत्पादन 86999.18 टन हुआ, जो विगत तीन वर्षों में माह दिसम्बर तक सर्वाधिक उत्पादन है ।

(मत्स्योत्पादन टन)

वर्ष	लक्ष्य	मत्स्योत्पादन उपलब्धि
2014–15	108000	109121.18
2015–16	122000	115016.56
2016–17 (दिसंबर 16 तक)	130000	86999.18

वर्ष 2015–16 में ग्रामीण तालाब/जलाशयों से प्रति हेक्टयर मत्स्योत्पादकता क्रमशः 1414 तथा 107 किलोग्राम प्रति हेक्टयर ऑकी गई है।

विगत वर्ष में प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता निम्नानुसार रही है :–

वर्ष	ग्रामीण तालाब से	सिंचाई जलाशय से
2014–15	1428	96
2015–16	1414	107
2016–17 (दिसंबर 16 तक)		उत्पादकता का आकंलन वर्षान्त में किया जाता है।

5. विभागीय आय :–

वर्ष 2015–16 में विभागीय आय रूपये 421.29लाख की हुई। विगत तीन वर्षो में प्राप्त आय निम्नानुसार रही :–

(आय रूपये लाख में)

क्र.	मद	अर्जित आय			
		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 दिसंबर 2016 तक
1	मत्स्याखेट रायल्टी	54,53,400	69,31,400	79,42,400	27,61,100
2	मत्स्यबीज विक्रय	1,50,68,.900	1,33,14,200	1,53,93,200	1,54.12,300
3	अवैधानिक रूप से पकड़े गये प्रकरणों आदि से प्राप्त आय	0	0	0	0
4	वहन किराया भाड़ा	0	0	0	0
5	वाहन नीलामी	0	0	0	0
6	पट्टा राशि	0	0	0	0
7	विविध	18,97,900	7,89,100	1,46,91,700	50,19,700
8	प्रक्षेत्र पर घास नीलामी	0	0	0	0
9	प्रतिभूति राजसात	0	0	0	0
10	सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदाय जानकारी से	2,360	1,664	5036	304
11	मत्स्य महासंघ से प्राप्त रायल्टी	1,22,00,000	1,86,81,104	2,33,02,333	93046
	अंशदान से आय	-	-	17,66,658	0
	योग	**3,46,22,560**	**3,97,17,468**	**4,21,29,327**	**2,31,86,350**

6. रोज़गार सृजन मानव–दिवस (लाख) :–

वर्ष 2015–16 में रोजगार सृजन मानव–दिवस अन्तर्गत 211.18 लाख मानव दिवस रोज़गार उपलब्ध कराया गया। दिसम्बर 2016 तक 169.51 लाख मानव–दिवस की उपलब्धि अर्जित की गई।

विगत तीन वर्षो में विभाग द्वारा निम्नानुसार रोज़गार सृजन किया गया :–

(संख्या लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2013–14	144	157
2014–15	144	209
2015–16	200	211-18
2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)	230	169-51

7. मत्स्य सहकारिता –

वर्ष 2016–17 के माह दिसम्बर 2016 तक 2266 समिति जिनकी सदस्य संख्या84732है। जबकि वर्ष 2015–16 में 2185 मछुआ सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 81,783 थी, माह दिसंबर 2016 तक 43 समितियाँ जिसकी सदस्य संख्या 1273 नवीन रूप से पंजीकृत की गई।

विगत तीन वर्षो की प्रगति निम्नानुसार रहीं :–

वर्ष	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2013–14	2,067	77,811
2014–15	2,108	79,517
2015–16	2,185	81,783
2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)	2,266	84,372

राज्य शासन द्वारा पांच हेक्टयर से बड़े जलाशयों के पट्टे मछुआ सहकारी समितियों को आवंटित किये जाते हैं। समितियों को मत्स्याखेट उपकरणों, जलाशयों की पट्टा राशि, मछली बीज विक्रय आदि प्रयोजनों हेतु शासन की ओर से ऋण एवं अनुदान मध्यप्रदेश मछुआ सहकारी समितियां उधार एवं सहायकी नियम 1972 के तहत उपलब्ध कराया जाता है।

अ– विभागीय जलाशयों में समितियों द्वारा मत्स्याखेट –

विभाग के पास 13,200 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 41 जलाशयों में मछुआ सहकारी समितियों द्वारा रायल्टी आधार पर मत्स्याखेट कार्य किया गया। उनके द्वारा 273.06 टन मत्स्योत्पादन किया गया जो विभागीय जलाशयों से उत्पादित कुल (455.10 टन) का 60 प्रतिशत समितियों के माध्यम से हुआ मत्स्य पालन विभाग सहकारिता को प्राथमिकता दे रहा है ।

ब– मछुआ सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता :–

वर्ष 2015–16 मे मछुआ सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता के रूप में फिशरमेन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समितियों को उपलब्ध कराए गए ऋण ब्याज पर अनुदान बैंकों में जमा किया जाता है। तथा समितियों को अनुदान हेतु रूपये 110.30 लाख का अनुदान बावत् आवंटन किया गया है। जिसके विपक्ष में रूपये 102.03लाख का व्यय किया गया। यह आवंटित राशि का 92.50 प्रतिशत है । विगत तीन वर्षो में मछुआ समितियों को अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया:–

(रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटित एवं व्यय की गई राशि		लाभान्वित समितियाँ	
	आवंटन	व्यय	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2013–14	14.38	93.42	531	13,275
2014–15	107.85	92.24	519	12,975
2015–16	111.30	102.03	483	12,075
2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)	111.27	91.96	483	12075

स. सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मत्स्य पालकों को अनुदान:–

मछुआ सहकारी समितियों के अतिरिक्त विभाग द्वारा निजी मत्स्य पालकों को भी तालाब मरम्मत, पट्टा राशि मत्स्यबीज क्रय तथा नाव जाल क्रय हेतु अनुदान देने का प्रावधान है । वर्ष 2015–16 में रूपये 79.29 लाख का प्रावधान है जिसके विरूद्ध अनुदान रूपये 72.93 लाख मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया । जो आवंटित राशि का 91.97 प्रतिशत रहा।

विगत तीन वर्षो में उपलब्ध कराये गये अनुदान की जानकारी निम्नानुसार है :–

(रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटित राशि एवं व्ययकी गई राशि		लाभान्वित हितग्राही संख्या
	लक्ष्य	उपलब्धि	
2013–14	86.07	65.55	2224
2014–15	112.48	99.82	2761
2015–16	79.29	72.93	2712
2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)	82.85	68.22	16120

द. मछुआ सहकारी समितियों को जलाशय आवंटन

वर्ष 2015–16 में 54 जलाशय जिनका जलक्षेत्र 248.11 हैक्टर 51 समिति के 2160 सदस्यों को दिया गया था। जबकि वर्ष 2016–17 के माह दिसंबर 16 तक 52 जलाशय जिनका जलक्षेत्र 3390.57 हैक्टर है, को 51 समिति के 1728 सदस्यों को सतत् आवंटित किया गया।

विगत तीन वर्षो में समितियों के पास जो जलाशय सतत् रहे उनकी जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	जलाशय		लाभान्वित समितियाँ	
	संख्या	जलक्षेत्र (हैक्टर)	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2013–14	1,053	56,898	1,033	42,264
2014–15	1,163	60,728	1,134	45,436
2015–16	1,479	71,663	1,192	47018
2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)	1,553	77,377	1,240	48671

इ. मछुआ समूहों को जलाशय आवंटन –

वर्ष 2015–16 में 727.76 हैक्टर जलक्षेत्र के 36 जलाशय 36 मछुआ समूहों 474 सदस्यों को आवंटित कराए गए, इस प्रकार वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016) तक की स्थिति में 7626 हैक्टर जलक्षेत्र के 127 जलाशयों के पट्टे 340 सदस्यों के 27 मछुआ समूहों को आवंटित किये गये ।

गत तीन वर्षो में मछुआ समूहों के पास जो जलाशय सतत् रहे हैं उनकी जानकारी

निम्नानुसार है :–

वर्ष	जलाशय		लाभान्वित समूह	
	संख्या	जलक्षेत्र हैक्टर	समूह संख्या	सदस्य संख्या
2013–14	1,226	21,932	1,221	10,225
2014–15	1,304	22,086	1,264	11,416
2015–16	1,273	20,546	1,273	12119
2016–17 (दिसम्बर 16 तक)	1,316	21,424	1,316	12424

8. प्रशिक्षण –

विभाग के द्वारा मछुआरों, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 15 दिवसीय मछुआ प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है, प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रूपये 150/– प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता एवं निवास स्थान से प्रशिक्षण स्थान तक आने जाने का किराया दिया जाता है । वर्ष 2015–16 में 5776 मछुओं को प्रशिक्षण दिया गया था। वर्ष 2016–17 से विभाग द्वारा मत्स्यपालन का 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है(5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय अध्ययन भ्रमण) प्रत्येक प्रशिक्षाणार्थी को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का वास्तविक किराया एवं रूपये 150/प्रतिदिन प्रशिक्षण वृत्ति मय क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में प्रदान की जाती है ।माह दिसंबर 2016 तक 4031 मछुओं को प्रशिक्षण दिया गया।

गत तीन वर्षो में प्रशिक्षित मछुओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या
2013–14	5,128	4,834
2014–15	7,229	7,040
2015–16	5,942	5,776
2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)	4606	4031

9. मत्स्यालय –

रंगीन मछलियों के प्रर्दशनार्थ भोपाल में मत्स्यालय की स्थापना 31 मई 1977 को की

गई। वर्ष 2015–16 में भोपाल स्थित मछली घर में शोभायमान मछलियों एवं आर्थिक महत्व की मछलियों को देखने हेतु 17741दर्शक आये । इससे विभाग को रूपये 88705/– (रूपये अठासी हजार सात सौ पांच) मात्र का राजस्व प्राप्त हुआ।

गत तीन वर्षो में वर्षवार दर्शकों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	दर्शको की संख्या	प्राप्त राजस्व (रू.में)
2013–14	1,04,154	5,20,770
2014–15	1,02,749	5,13,745
2015–16	17,741	1,32,965
2016–17 (दिसंबर 2016 तक)	28975	1,40,745

मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–3–6/07/36 भोपाल, दिनांक 03–07–2007 से मत्स्यालय में आने वाले दर्शकों से रूपये 5/– प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क लिया जा रहा है । वर्ष 2015–16 में अन्य स्त्रोत से रूपये 46500/– प्राप्त हुए एवं टिकिट बिक्री से रूपये 88705/–की आय प्राप्त हुई। माह मार्च 16 अन्त तक राशि रूपये 132965 कोषालय में जमा कराई गई । इस प्रकार दिसम्बर 2016 के अंत तक कुल राशि रूपये 144875/–की आय हुई । इसमें से दिसम्बर 2016 तक कोषालय में रूपये 140745/ जमा कराई गई।

10. अनुसंधान–

प्रदेश में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के विभिन्न विषयों पर व्यवहारिक अनुसंधान करने के लिये भोपाल में एक प्रादेशिक अनुसंधान शाला कार्यरत है । इस अनुसंधान शाला में मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न कठिनाईयों पर तथा नये कार्यो पर अनुसंधान किया जाता है तथा ऐसे विषयों का अध्ययन किया जाता है, जो मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास को और अधिक व्यवहारिक बनाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सके ।

वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार अनुसंधान कार्यक्रम संपादित किये गए:–

1. दाहोद जलाशय जिला रायसेन में केज कल्वर अंतर्गत मत्स्यबीज वृद्धि एवं उत्तरजीविता का प्रयोगात्मक अध्ययन अन्तर्गत निरन्तर चलने वाले कार्यक्रम ।
2. भदभदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में मत्स्य पालन एवं वृद्धि का प्रयोगात्मक अध्ययन कार्यक्रम।
3. मागुर कार्प के ब्रूड बैंक का विकास प्रबघन ।

मांगुर मत्स्यबीज उत्पादन–

उपर्युक्त कार्यक्रम अंतर्गत 28,000 नग मांगुर मत्स्यबीज फ्राई का उत्पादन किया गया, तथा निजी मत्स्य पालक को विक्रय कर रूपये 8,400/– (आठ हजार चार सौ मात्र) चालान से जमा कराये गये।

ब. शोभायमान मीन का उत्पादन एवं संवर्धन–

वर्ष 2015–16 में कार्यक्रम अंतर्गत 8,205 नग शोभायमान मछलियों का उत्पादन किया गया एवं 6712 नग शोभायमान मीन की बिक्री कर राशि रू0 4051/– जमा कराए गए, तथा 1605 नग शोभायमान मछली का संवर्धन कार्य रायसेन जिले के दाहोद जलाशय में स्थापित केज में सचित कराया गया है ,4211 नग मछलीघर भोपाल को प्रदाय किये गये है।

अनुसंधान इकाई द्वारा अतिरिक्त किए गए कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:–

1. सीपेज वाटर एवं फ्रेश वाटर में मत्स्यबीज की उत्तरजीविता का अध्ययन कार्य ।
2. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को मत्स्यबीज अध्ययन कार्य का प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करना ।
3. मध्यप्रदेश के तालाबों/जलाशयों में मत्स्योत्पादन,मत्स्यबीज उत्पादन, एवं मत्स्यबीज संवर्धन में आने वाली कठिनाईयों/समस्याओं को अनुसंधान के द्वारा निराकरण करना।
4. मछलियों में लगने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए।

प्रदेश में शोभायमान मछलियों का उत्पादन—

यह योजना ग्रामीण अंचलो के लिये बहुत उपयोगी है। प्रदेश में कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित होने की काफी संभावना है। योजनान्तर्गत स्वंय सहायता समुहो एवं समितियों द्वारा आकर्षक रंगीन मछलियों का उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते है। योजना के क्रियान्वयन हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार कोच्चि (एम.पी.ई.डी.ए.) द्वारा इकाई लागत अधिकतम रू. 40,0000 के ऋण की पात्रता 25 प्रतिशत अधिकतम एवं रू. 10,0000 अनुदान का प्रावधान है । आवेदन प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन आवेदन एम.पी.ई.डी.ए. की वेबसाईट में उपलब्ध है एवं प्रदेश स्तर को परियोजना कार्यालय संचालनालय मत्स्योद्योग स्थित है। मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अन्तर्गत रू. 15.00 लाख लागत की इकाई स्थापित करने पर अधिकतम रू. 1.50 लाख अनुदान की पात्रता है यद्यपि इस योजना अंतर्गत राज्य में हैचरी स्थापित नहीं की गई है, परंतु निम्नानुसार विक्रय केन्द्र स्थापित है :—

1. विभागीय इकाई—मछलीघर (भदभदा)— एवं अनुसंधान अधिकारी भोपाल एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्र पौण्डी मैहर जिला सतना
1. विक्रय केन्द्र की स्थापना की गई ।
2. निजी क्षेत्र में उत्पादन इकाई — संख्या — 13
3. बिक्री केन्द्र संख्या — विभाग — 3, निजी क्षेत्र — 22

अनुसूचित जाति (विशेष घटक योजना) बजट प्रावधान व्यय एवं भौतिक उपलब्धियाँ वर्ष 2013–14 एवं 2014–15

क्र.	विवरण योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2013–14				वर्ष 2014–15			
			वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि	
			बजट प्रावधान (रू.लाख)	व्यय (रू. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि	बजट प्रावधान (रू.लाख)	व्यय (रू. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्यपालन प्रसार अनु. जाति मत्स्य पालकों को सहायता	सख्या	9.00	6.67	300	265	10.70	8.30	357	360
2	जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास	टन	20.55	15.20	135000	10324	15.77	15.54	15000	11944
3	मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई	संख्या	65.04	61.37	1250	864	62.19	56.77	1290	845
4	विस्तार और प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओं का प्रशिक्षण)	संख्या	7.93	7.26	634	561	7.78	6.92	622	539
5	मछुआ सहकारी समितियों का गठन एवं सहायता	समिति संख्या	8.80	6.38	44	33	5.99	4.35	30	41
		सदस्य संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		तालाब जलक्षेत्र	6.25	1.57	200	154	5.10	4.11	100	147
7	मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा	संख्या	2.00	2.16	13793	14865	2.30	1.27	13793	12544
8	मछुआ आवास (वर्ष 2004–05 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	18.00	18.00	72	72	0.00	0	0	0
9	बचत–सह–राहत(वर्ष 2002–03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	4.15	2.09	1038	522	3.75	2.14	937	812
10	विस्तार और प्रशिक्षण (वर्ष 2002–03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	संख्या	165.00	69.49	0	0	110.00	106.40	0	0
	योग		**306.72**	**190.19**	**0**	**0**	**242.63**	**220.26**	**0**	**0**

अनुसूचित जाति (विशेष घटक योजना) बजट प्रावधान व्यय एवं भौतिक उपलब्धियाँ वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 दिसम्बर 2016 तक

क्र.	विवरण योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2015–16				वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)			
			वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि	
			बजट प्रावधान (रू.लाख)	व्यय (रू. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि	बजट प्रावधान (रू.लाख)	व्यय (रू. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्यपालन प्रसार अनु. जाति मत्स्य पालकों को सहायता	सख्या	7.45	6.49	248	316	7.85	5.69	262	231
2	जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास	टन	9.58	7.77	18300	12764	12.93	6.87	19500	10231.32
3	मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई	संख्या	84.62	57.75	1500	833	95.71	52.93	1575	917.99
4	विस्तार और प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओं का प्रशिक्षण)	संख्या	7.81	7.25	625	741	16.27	12.72	586	499
5	मछुआ सहकारी समितियों का गठन एवं सहायता	समिति संख्या	6.52	5.49	33	25	6.85	4.56	34	29
		सदस्य संख्या	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	संख्या	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
		तालाब जलक्षेत्र	8.44	4.65	100	99.92	7.12	1.35	100	80.81
7	मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा	संख्या	1.28	1.28	12623	12268	1.57	1.57	12668	17542
8	मछुआ आवास (वर्ष 2004–05 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	15.00	40	40	0	0	0	0
9	बचत–सह–राहत(वर्ष 2002–03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	5.39	4.70	599	522	6.17	0.69	858	76
10	विस्तार और प्रशिक्षण (वर्ष 2002–03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	संख्या	48.00	27.25	123	123	34.00	5.43	0	256
	योग		**192.95**	**146.98**	**223.42**	**134.73**	**188.47**	**91.81**	**0**	**0**

41+52 आदिवासी उपयोजना
वर्ष 2013–14 एवं 2014–15

क्र.	विवरण योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2013–14				वर्ष 2014–15			
			वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि	
			बजट प्रावधान (रू.लाख)	व्यय (रू. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि	बजट प्रावधान (रू.लाख)	व्यय (रू. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्यपालन प्रसार अनु. जनजाति मत्स्य पालकों को सहायता	सख्या	25.32	21.13	844	812	41.49	35.80	1383	1103
2	जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास	टन	63.39	51.24	21600	32215	70.28	42.36	24000	36302
3	मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई	संख्या	128.03	114.00	1950	4351	231.02	172.26	2065	5153
4	विस्तार और प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओं का प्रशिक्षण)	संख्या	19.76	19.01	1581	1565	29.51	29.26	2361	2202
5	मछुआ सहकारी समितियों का गठन एवं सहायता	संख्या	22.53	18.49	113	137	23.41	19.30	117	119
6	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पट्टा आवंटन	जलक्षेत्र हैक्टर	19.68	6.64	300	328	14.30	13.16	300	376
7	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	संख्या	6.00	6.15	41379	42432	5.00	4.38	34483	43155
8	मछुआ आवास (वर्ष 2004–05 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	बचत–सह–राहत (वर्ष 2002–03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	19.29	12.45	4823	3470	20.88	12.41	5220	3276
10	विस्तार और प्रशिक्षण (वर्ष 2002–03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	प्रगहण मात्स्यिकीय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	संख्या	205	100	0.00	0.00	155.00	144.65	0.00	0.00
	योग		**509.00**	**349.11**	**0.00**	**0.00**	**654.67**	**524.45**	**0.00**	**0.00**

41+52 आदिवासी उपयोजना

वर्ष 2015—16 एवं 2016—17 (दिसम्बर 2016 तक)

क्र.	विवरण योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2015—16				वर्ष 2016—17 (दिसम्बर 2016 तक)			
			वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि	
			बजट प्रावधान (रू.लाख)	व्यय (रू. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि	बजट प्रावधान (रू.लाख)	व्यय (रू. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्यपालन प्रसार अनु. जनजाति मत्स्य पालकों को सहायता	सख्या	26.79	25.02	893	904	25.90	22.12	863	467
2	जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास	टन	66.97	41.68	29300	52910.89	41.38	19.56	31200	41718.61
3	मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई	संख्या	264.3	215.54	2400	556.00	315.64	153.14	2520	6640.94
4	विस्तार और प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओं का प्रशिक्षण)	संख्या	24.30	23.28	1944	1851	36.94	32.15	1331	1208
5	मछुआ सहकारी समितियों का गठन एवं सहायता	संख्या	27.48	23.72	137	119	23.00	19.05	115	93
6	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पट्टा आवंटन	जलक्षेत्र हैक्टर	25.06	19.40	200	358.87	24.03	5.42	200	276.48
7	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	संख्या	4.38	4.38	43195	46397	3.69	3.69	46397	43336
8	मछुआ आवास (वर्ष 2004—05 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	202	43.00	500	128	0	0	0	0
9	बचत—सह—राहत (वर्ष 2002—03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	34.97	14.65	3868	1628	30.11	20.13	4182	2237
10	विस्तार और प्रशिक्षण (वर्ष 2002—03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0
11	प्रगहण मात्स्यिकीय		0	0	0	0	0	0	0	0
12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	संख्या	64	63.94	282	282	40.00	14.84	0	702
	योग		**727.72**	**463.41**	0	0	**540.69**	**290.10**	0	0

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

ताजा जल–जल कृषि विकास–

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण–

प्रदेश में स्थापित मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों के माध्यम से संचालित योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में अर्जित प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:–

तालाब आवंटन–

वर्ष	लक्ष्य जलक्षेत्र (हैक्टर)	उपलब्धि जलक्षेत्र (हैक्टर)	प्रतिशत	तालाब संख्या	हितग्राही संख्या
2013–14	1,500	1297.46	86.00	704	3027
2014–15	1,250	1186.90	94.95	559	2372
2015–16	1,000	952.22	95.22	464	2142
2016–17 (दिसंबर 2016 तक)	1,000	838.34	83.83	457	1720

गत तीन वर्षो में इस योजना के अन्तर्गत उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	मत्स्यबीज संचयन (स्टेण्डर्ड फ्राई लाख)		मत्स्योत्पादन (टन)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2013–2014	4,100	3,999	61,400	58,994
2014–2015	4,500	4,073	62,000	62,262
2015–2016	4,600	4,240	68,000	62,595
2015–16 (दिसंबर 16 तक)	4,600	5,082	68,000	51,218

बैंक फायनेन्सिंग (रूपये लाख)–

वर्ष	ऋण		अनुदान		लाभान्वित हितग्राही संख्या
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
2013–14	1,561.08	934.07	332.96	184.44	1,830
2014–15	1,181.20	904.47	195.32	167.86	2,219
2015–16	1,035.00	779.59	220.40	168.71	1,758
2016–17 (दिसंबर 16 तक)	1,036.11	303.87	222.80	47.94	272

स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण –

वर्ष 2015–16 में 126.36 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 117 तालाब स्वयं एवं बैंक ऋण से निर्माण कराये गये जिससे वर्ष में 117 हितग्राही लाभान्वित हुयें ।

योजना प्रारम्भ से लेकर वर्ष 2015–16 तक 5058.47 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 3931 तालाब निर्माण कराये गये।

गत तीन वर्षो में योजना अन्तर्गत निर्मित तालाबों की उपलब्धि निम्नानुसार रही :–

वर्ष	तालाब संख्या	जलक्षेत्र हेक्टयर	लाभान्वित हितग्राही संख्या
2013–14	122	142.52	122
2014–15	165	178.38	165
2015–16	117	126.36	117
2016–17 (दिसंबर 2016 तक)	30	31.52	30

मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा –

भारत सरकार द्वारा योजना में वार्षिक बीमा प्रीमीयम राशि दर रूपये 20.34 पैसे निर्धारित है जिसका व्यय 50:50 क्रमशः केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है । मृत्यु एवं स्थाई अपंगता की स्थिति में बीमा दावे की राशि रूपये 2,00,000/–नामित व्यक्ति को तथा अस्थाई विकलांगता की स्थिति में दावे की राशि रूपये 100,000/– है ।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में एक वर्ष के लिये राज्य के 1,80,988 मछुओं को

बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई । जातिवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ग	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)
1	अनुसूचित जनजाति	43,155	46,397
2	अनुसूचित जाति	12,544	12,688
3	सामान्य	1,19,500	1,21,923
	योग	1,75,199	1,80,988

मत्स्य जीवियों को मृत्यु व विकलांगता पर अनुग्रह राशि–

वर्ष 2015–16 में बीमित मछुओं के असामयिक निधन के प्रकरण 10 रहे तथा एक प्रकरण विकलांगता का रहा, जिन्हें अनुगृह राशि रूपये 11.00 लाख सहायता उपलब्ध कराई गई ।

वर्ष	मछुआ संख्या	मृत्यु संख्या	विकलांगता संख्या	अनुग्रह राशि (रूपये लाख)	
				नया प्रकरण नई दर	
				मृत्यु	विकलांगता
				1,00,000	50,000
2013–14	33	32	01	32,00,000	50,000
2014–15	16	14	02	14,00,000	1,00,000
2015–16	10	10	0	10,0000	1,00,000
2016–17(दिसंबर 16 तक)	20	16	4	29,00,000	3,50,000

बचत–सह–राहत योजना–

वर्ष 2002–03 में केन्द्र प्रवर्तित "बचत–सह–राहत" योजना बंद ऋतु अवधि में मछुआरों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में लागू की गई है जिसमें पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के सक्रिय सदस्यों द्वारा माह सितम्बर से माह मई तक कुल 9 माह रूपये 100/– प्रतिमाह की दर से बैंक/पोस्ट आफिस में जमा कराया जाता है। हितग्राहियों द्वारा कुल रूपये 900/–जमा किए जाते हैं, इसके समतुल्य राशि रूपये 900/– राज्य शासन द्वारा रूपये 900/– केन्द्र शासन द्वारा कुल राशि रू. 2700/– जो हितग्राहियों को बंद ऋतु

के समय रूपये 1350/– प्रतिमाह के मान से प्रदान की गई । वर्ष 2016–17 से बचत राशि बढाकर रूपये 150/– प्रतिमाह के मान से कुल रूपये 1500/– केन्द्रांश एवं रूपये 1500/राज्यांश कुल रूपयें 4500/– वित्तीय वर्ष 2017–18 में भुगतान किये जाने का प्रावधान केन्द्र शासन द्वारा किया गया है ।

बचत–सह–राहत योजना में वर्ष 2015–16 के लिये समिति के सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु उनके खाते में जमा के लिये केन्द्रांश एवं राज्यांश रूपये 290.58 लाख का प्रावधान रखा गया था।

वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार हितग्राही लाभान्वित हुए –:

क्रमांक	वर्ग	हितग्राही संख्या	भुगतान धनराशि (रू)
1	सामान्य	8, 666	155.99
2	अनुसूचित जनजाति	1,628	29.31
3	अनुसूचित जाति	522	9.39
	योग	**10,816**	**194.69**

वर्ष 2016–17 के लिए समिति के सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु उनके खाते में जमा के लिए रूपये 351.88 लाख का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष 2016–17 माह दिसम्बर 2016 तक निम्नानुसार हितग्राही लाभांवित किये गये–

क्रमांक	वर्ग	हितग्राही संख्या	जमा धनराशि (रू)
1	सामान्य	13806	248.52
2	अनुसूचित जनजाति	2237	40.26
3	अनुसूचित जाति	77	1.38
	योग	**16120**	**290.16**

फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना–

फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना– भूमि कृषको के समान मत्स्य पालको को वर्ष 2009–10 से 3 प्रतिशत व्याज दर पर लागू कर वर्ष 2011–12 में 1 प्रतिशत तथा वर्ष 2012–13 से शून्य प्रतिशत व्याज पर मत्स्य पालको को आवश्यक इनपुट्स के लिये फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 में 7809 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2016–17 में माह दिसंबर 16 तक 4937 हितग्राहियों के फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक दिनांक 29 मई 2007 में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में धीमी प्रगति के संबंध में एवं विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एक राज्य योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान के रूप में संचालित है, जिसका लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में विभाग के रूपये 655.28 लाख के प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से स्वीकृत हुये, स्वीकृत राशि के विपक्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में राशि रूपये 403.96 लाख की रिलीज प्राप्त हुई जिससे निम्नानुसार प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया गया।

राशि रूपये 110.19 लाख से 2755 विभागीय एवं महासंघ के मछुआरों को 50 प्रतिशत अनूदान जाल क्रय पर दिया गया । 126.00लाख की राशि से 36 फुटकर मत्स्य बाजार के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कर स्थानीय निकायों को वितरित की गई । राशि रूपये 100.00 लाख से 2941 हैक्टेयर ग्रामीण जलक्षेत्र मे मछुआरों को सीफेक्स वितरण किया गया। ग्रामीण तालावों में सघन मत्स्यपालन हेतु राशि रूपये 63.00 लाख का अनुदान वितरण कर 22 हैक्टेयर नवीन जलक्षेत्र में मत्स्यपालन हेतु विकसित किया गया । इस प्रकार कुल रिलीज राशि 403.96 लाख व्यय किये गये। आर.के.व्ही.वाय.योजना में वर्ष 2016–17 हेतु राज्यस्तरीय मंजूरी समिति से 727.20 लाख की राशि स्वीकृत है। स्वीकृत राशि के विपक्ष में दिसम्बर तक 486.56 लाख की रिलीज नोडल विभाग से प्राप्त हुई है। एवं राशि रूपये 362.45लाख व्यय किया गया ।मछुआरों के जाल क्रयकरण पर 50प्रतिशत अनुदान की दर से रूपये 162.22 लाख व्यय कर 4123 मछुआ को लाभान्वित किया गया है। एक्वाकल्चर इन एग्रीफील्ड अर्न्तगत रूपये 61.02 लाख व्यय कर 0.1हे. के 204 छोटे तालाब निर्माण किये गये।फुटकर बाजार निर्माण हेतु 42.00लाख रूपये की स्वीकृत कर स्थानीय निकायों को वितरित की गई। 1605 मत्स्यपालकों को 54.56 लाख का सीफेक्स वितरण किया गया, साथ ही नर्मदा नदी के 586 मछुआरों के प्रशिक्षण एवं किट वितरण पर 38.66 लाख का व्यय किया गया ।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड

मत्स्य बाजार

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास योजना अन्तर्गत प्रदेश के निम्न शहरों में सुव्यवस्थित हाइजेनिक फिश मार्केट का निर्माण उपभोक्ताओं तक स्वच्छ एवं ताजी अवस्था में मछली पहुंचाने तथा मछुआरों को मत्स्याखेट का उचित पारिश्रमिक प्राप्त होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के सहयोग से संबंधित नगर निगम/नगर पालिका द्वारा मत्स्य बाजार का निर्माण कराया जा रहा है, तथा बाजार निर्माण हेतु राशि लागत का 50 प्रतिशत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा सीधे संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद को प्रदाय की जा रही है, नगर निगम द्वारा सुव्यवस्थित 50 स्टाल तथा नगर पालिका द्वारा 25स्टाल एवं नगर परिषद द्वारा 10 स्टाल का बड़ा मत्स्य मार्केट निर्माण किये जाने हेतु सम्बन्धित निकायों को राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि निम्नानुसार हैः–

(रूपये लाख में)

क्रमांक	जिला	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि
1	सतना	112.50	101.25	107.73
2	सिवनी	90.00	90.00	90.00
3	अनूपपुर	45.00	40.50	60.11
4	रीवा	112.50	112.50	101.125
5	सागर	112.50	112.50	112.50
6	जबलपुर	185.40	129.78	129.78
	योग	**657.90**	**586.53**	**601.24**

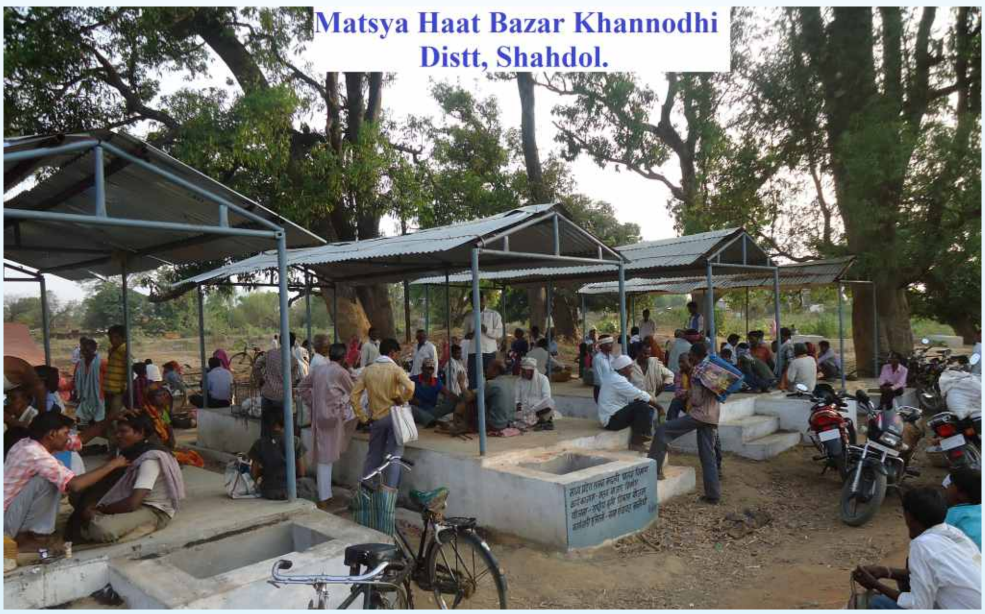

केन्द्र क्षेत्र योजना

अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण–

राज्य में उत्पादित मछली को उपभोक्ता तक ताजी एवं सुरक्षित अवस्था में पहुंचाने के लिये आवश्यक अधोसंरचना जैसे–फिश हेन्डिलिंग शेड, लेन्डिंग सेन्टर, आईस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल आउटलेट आदि की स्थापना के साथ–साथ मछली के परिवहन हेतु इन्सुलेटेड वेन एवं बाक्स–सह–साईकल का उपयोग आवश्यक है ।

अधोसंरचना विकास मत्स्य महासंघ के माध्यम से सम्पन्न कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत उपरोक्त कार्यो के लिये भारत सरकार से स्वीकृत तीन परियोजनाओं में से दो परियोजनायें पूर्ण की जाकर भारत सरकार को स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। "राज्य के लिये वर्ष 1996–97 में स्वीकृति तृतीय परियोजना लागत रूपये 74.00 लाख की पूर्ण राशि निर्माण माध्यम" मत्स्य महासंघ को सौपी जा चुकी है जिसके विपक्ष में वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत तक रूपये 74.00 लाख व्यय किये गये हैं। आयुक्त मत्स्य, भारत कृषि मंत्रालय नई दिल्ली को उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्र क्रमांक 2713 दिनांक 14.02.2006 से भेजा जा चुका है ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना –

मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटाबेस एंव इन्फारमेशन नेटवक्रिग का सुदृढीकरण :

वर्ष 1983–84 से संचालित "अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग सांख्यिकी विकास" की पूर्व संचालित केन्द्र क्षेत्र योजना को संशोधित कर इस योजना को संचालित किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन भारत शासन द्वारा माह दिसम्बर 2003 में जारी किया गया है ।

योजनान्तर्गत मत्स्योत्पादन के सर्वेक्षण कार्य में संलग्न राज्य के चार सांख्यिकीय अमले के वेतन भत्तों का भुगतान शत् प्रतिशत भारत शासन से प्राप्त होता है ।

सर्वेक्षण सांख्यिकीय की जानकारी 14 जिला इकाईयों का चयन कर क्रमशः जिला बालाघाट, शहडोल, कटनी, बैतूल, सीहोर, सिवनी, टीकमगढ,शाजापुर, मुरैना, मण्डला, देवास, धार, विदिशा, रायसेन की सांख्यिकीय एकत्रीकरण की जानकारी केन्द्रीय मात्स्यिकीय अनुसंधान संस्थान को प्रति त्रैमास भेजी जा रही है ।

भाग–चार
सामान्य प्रशासनिक विषय
वर्ष 2015–2016
(1 अप्रेल 2015 से 31 मार्च 2016 तक)

1. **विभागीय पदोन्नति –**
वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार पदोन्नतियाँ हुई है ।

क्र.	श्रेणी	पद संख्या
1	प्रथम श्रेणी	01
2	द्वितीय श्रेणी	04
3	तृतीय श्रेणी	50
4	चतुर्थ श्रेणी	0

2. **जांच –**
वर्ष 2015–16 में नवीन जॉच प्रकरणो की संख्या निरंक रही वर्ष में कुल 08 प्रकरण विचाराधीन थे जिसमें से 03 प्रकरण का निराकरण किया गया है शेष 05 प्रकरणो में कार्यवाही अभी विचाराधीन है।

3. **सेवानिवृत्ति –**
वर्ष 2015–16 में विभाग में कुल 12 अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए ।

4. **शिकायत –**
निरंक

5. **स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी–**
दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्र.	श्रेणी	स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी संख्या	स्थानांतरण संशोधन संख्या	स्थानांतरण निरस्त संख्या
1	प्रथम श्रेणी	-	-	-
2	द्वितीय श्रेणी	12	01	1
3	तृतीय श्रेणी	5	0	0
4	चतुर्थ श्रेणी	05	01	01
	योग	**22**	**02**	**02**

6. **न्यायालयीन प्रकरणः—**

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ—11— 111/2006/एक/9 भोपाल दिनांक 17 जनवरी 2007 के अनुसार लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :—

(01.04.2015 से 31.03.2016 तक)

प्रशासनिक न्यायालय का नाम	कुल संख्या	प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की संख्या	जिनमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये न जाने की संख्या	जवाबदावा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की संख्या	जवाबदावा न किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या
जबलपुर	52	52	0	52	0
ग्वालियर	17	17	0	17	0
इंदौर	15	15	0	15	0
योग	**84**	**84**	**0**	**84**	0

7. **विधान सभा प्रश्नध्यानाकर्षण सूचनाओं की जानकारी—**

वर्ष 2015—16 में मान्नीय विधायकों द्वारा विभाग से संबंधित कुल .83 विधान सभा प्रश्न पूछे गए ।

8. **ध्यानाकर्षण सूचनाएं—**

वर्ष 2015—16 में ध्यानाकर्षण सूचनायें निरंक रही ।

9. **विभागीय गतिविधियों की विभागीय वेबसाइट—**

विभागीय गतिविधियों की विभागीय वेबसाइट http://www.mpfisheries.gov.in पर भी देखा जा सकता है एवं पत्र व्यवहार हेतु विभाग को E-mail : dirfish@mp.nic.in पर ई—मेल किया जा सकता है ।

10. **प्रकाशन—**

संसदीय कार्य नियमावली के सुसंगत उद्धरण अनुबंध 9 (पैरा 7.17.3) के अनुसार विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।

सामान्य प्रशासनिक विषय
वर्ष 2016–2017
(1 अप्रेल 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक)

1. **विभागीय पदोन्नति –**
वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार पदोन्नतियाँ हुई है ।

(1 अप्रेल 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक)

क्र.	श्रेणी	पद संख्या
1	प्रथम श्रेणी	1
2	द्वितीय श्रेणी	0
3	तृतीय श्रेणी	50
4	चतुर्थ श्रेणी	0

2. **जांच –**
वर्ष 2016–17 में नवीन जॉच प्रकरणो की संख्या 02 रही वर्ष में कुल 07 प्रकरण विचाराधीन थे जिसमें से 03 प्रकरण का निराकरण किया गया है शेष 04 प्रकरणो में कार्यवाही अभी विचाराधीन है ।

3. **शिकायत –**
लोकायुक्त कार्यालय में एक अधिकारी का एक प्रकरण लंबित है।

4. **सेवानिवृत्ति –**
वर्ष 2016–17 में विभाग में कुल 9 अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा से निवृत्त हुए। इसके अतिरिक्त सेंवा में रहते हुये किसी भी कर्मचारी का आकस्मिक निधन नहीं हुआ हैं।

5. **स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी–**

(1 अप्रेल 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक)

क्र.	श्रेणी	स्थानांतरित अधिकारी/ कर्मचारी संख्या	स्थानांतरण संशोधन संख्या	स्थानांतरण निरस्त संख्या
1	प्रथम श्रेणी	0	0	0
2	द्वितीय श्रेणी	8	0	0
3	तृतीय श्रेणी	37	3	1
4	चतुर्थ श्रेणी	2	0	0
	योग	**47**	**3**	**1**

6. न्यायालयीन प्रकरणः—

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ–11–111 /2006/एक/9 भोपाल दिनांक 17 जनवरी 2007 के अनुसार लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है।

(01.04.2016 से 31.12..2016 तक)

प्रशासनिक न्यायालय का नाम	कुल संख्या	प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की संख्या	जिनमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त न किये जाने की संख्या	जवाबदावा प्रस्तुत किये गए प्रकरणों की संख्या	जवाबदावा न किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या
जबलपुर	52	52	0	52	0
ग्वालियर	16	16	0	16	0
इंदौर	13	13	0	13	0
योग	**81**	**81**	**0**	**81**	**0**

7. विधान सभा प्रश्न ध्यानाकर्षण सूचनाओं की जानकारी—

वर्ष 2016–2017 में मान्नीय विधायकों द्वारा विभाग से संबंधित कुल 32 विधान सभा प्रश्न पूछे गए ।

8. ध्यानाकर्षण सूचनाएं —

वर्ष 2016–2017 में 2 ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त रही ।

9. प्रकाशन —

संसदीय कार्य नियमावली के सुसंगत उद्धरण अनुबंध 9 (पैरा 7.17.3) के अनुसार विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।

भाग पांच
अभिनव योजनाएं

नील क्रान्ति योजनाः–

वर्ष 2016–17 से नील क्रान्ति योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत केज कल्चर,स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, जलाशयों में समन्वयित मत्स्यपालन अर्न्तगत आइस प्लान्ट एवं मेकेनाइज्ड बोट, मत्स्य आहार सयंत्र, विपणन हेतु कियोस्क,मोटर सायकल मय आईस बाक्स एवं कल्याणकारी योजना अर्न्तगत बचत सह राहत योजना एवं मछुआ आवास योजना के लिये 29 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था जिसके अनुरूप 14 करोड केन्द्रांश, 2 करोड राज्यांश एवं 13 करोड की राशि लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा वहन किया जावेगा।

केजकल्चर–

वर्तमान में नीलक्रांति योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 310 केज लगाये जाने का प्रवधान किया गया है। जिसमें से 210 केज मत्स्य महासंघ के स्वामित्व के जलाशयों एंव शेष 100 केज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अन्तगर्त हस्तांरित जलाशयों में लगाये जाकर मत्स्य पालन कार्य किया जाना है।

आमूर कामन कार्प–

प्रदेश के डायवर्सीफाई फिशरीज को प्रोत्साहन करने एंव अधिक मत्स्योत्पादन प्राप्त करने हेतु उन्नत प्रजाति के मत्स्यबीज उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत् रायसेन जिले के दाहोद मत्स्यबीज प्रक्षेण पर आमूर कामन कार्प ब्रूडर बैंक की स्थापना की गई है।

किचन पौण्ड में मत्स्योत्पादन योजना–

प्रदेश में ग्रामीण आबादी को पौष्टिक खाद्य उपलब्ध काराने हेतु घरो के आस–पास उपलब्ध पोखर गड्डे जिनकी न्यूनतम गहराई 1.50 मीटर हों मत्स्य पालन हेतु विकसित किये जावेगें। इस प्रकार घर के आस पास किचन पौण्ड में विभाग द्वारा इनपुट के रूप में निःशुल्क मत्स्यबीज प्रदाय कर मत्स्य पालन कार्य प्रांरभ कराया जाएगा तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय किया जाएगा ।

किचन पौण्ड की मूल अवधारणा अनुसार पोखर में खाद के रूप में पशु गोबर/गोबर गैस स्लरी आदि जैविक उत्पादनो का प्रयोग किया जाऐगा तथा पाली जा रही मछलियों को आहार के रूप में किचन वेस्ट जूठन सब्जियों के अवशेष पदार्थ अनाज का छानन, चोकर आदि उपयोग में लाए लाएंगे।

भाग छः
सारांश

आलोच्य वर्ष 2015–16 में मत्स्योद्योग संचालनालय अपने महत्वपूर्ण दायित्व पूर्ण करने हेतु सतत् प्रयासरत रहा। वर्ष में मत्स्योत्पादन की उपलब्धि लक्ष्य के विपक्ष में 94.28 प्रतिशत रही। प्रदेश मे मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई का 97.05 प्रतिशत् लक्ष्य प्राप्त किया गया। इस वर्ष मत्स्यपालन हेतु 2018 हेक्टेयर अतिरिक्त जलक्षेत्र लाया गया।

मत्स्य सहकारी संस्थाएं –

दिसम्बर 2016 तक 43नवीन मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया, जिनकी सदस्य संख्या 1273 है। मछुओं की राष्ट्रीय कल्याणकारी कार्यक्रम योजना अन्तर्गत 1,84,933 मछुओं का बीमा किया गया। वर्ष 2015–16 में 10 मछुओं की मृत्यु पश्चात दावा राशि रूपये 10.00 लाख उपलब्ध कराई गई है।

मत्स्यबीज उत्पादन

राज्य में मत्स्य बीज की आवश्यकता वर्ष 2015–16 की पूर्ति के लिये 10,500 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित थे, इसके विरूद्ध 9520.90 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ (95.68 प्रतिशत) वर्ष 2016–17में माह दिसंबर 2016 तक 10716.57लाख मत्स्य बीज उत्पादन हुआ

मत्स्योत्पादन

वर्ष 2015–2016 मध्यप्रदेश के लिए 1,22,000 टन के लक्ष्य थे, जिसके विरूद्ध 1,15016.56 टन का मत्स्योत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 94.28 प्रतिशत रहा । वर्ष 2016–17 में माह दिसंबर 2016 तक मत्स्य उत्पादन 86999.18 टन हुआ जो गत तीन वर्षो की दिसंबर माह तक की स्थिति में सर्वाधिक है।

बचत–सह–राहत राष्ट्रीय योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में रूपये 194.70 लाख राशि अनुदान की गई जिससे 10816 मछुओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर 2016 तक योजनान्तर्गत रूपये 290.70 लाख राशि व्यय कर 16120 मछुओं को लाभान्वित किया गया है।

रोजगार सृजन–

वर्ष 2015–16 में मत्स्योद्योग कार्यो मे 211.18 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ। वर्ष 2016–17 में माह दिसंबर 16 तक 230 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य के विपक्ष में 169.51 लाख रोजगार सृर्जित किया जा चुका है।

नदियों में मत्स्यबीज संचयन –

नदियों मे मत्स्यबीज संचयन होने से नदियों के मत्स्य भंडार मे हो रही कमी की पूर्ति के साथ–साथ नदियों के किनारें रहने वाले मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों एवं अन्य मछुआरों को अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध होगें । नदियों मे प्रचुर मात्रा में मत्स्यबीज संचयन किये जाने से मत्स्य भंडार मे वृद्धि के साथ–साथ प्राकृतिक मत्स्य प्रजनन से नदियों के भंडार में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी । प्रदेश में वर्ष 2015–16 में नदियों के विभिन्न गहरे दहों में 253.35लाख स्टेण्डर्ड फ्राय मत्स्यबीज संचयन किया गया तथा वर्ष 2016–17 में माह दिसंबर 16 तक 248.914 लाख स्टेण्डर्ड फ्राय मत्स्यबीज संचय किया जा चुका है।

मछुआ आवास–

प्रदेश में मछुआरों के बेहतर निवास हेतु मछुआ आवास योजना क्रियान्वित है वर्ष 2015–16 में 500 मछुआ आवास निर्माण के लक्ष्य रखे जा कर केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि रूपये 405.70 प्रावंधान के विरूद्व रूपये 96लाख का अनुदान दिया गया, वर्ष 2016–17 में मछुआ आवास के लिए रूपये 91.50लाख केन्द्रांश एवं राज्यांश का प्रावधान रखा है एवं माह दिसम्बर 2016 तक रूपये 90.00 लाख का व्यय किया गया है । नील क्रान्ति अर्न्तगत मछुआ आवास हेतु रूपये 2 करोड का प्रावधान 167 मछुआ आवास निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। आवास हेतु अनुदान राशि रूपये 1.20लाख की राशि हितग्राही के खातें में जमा की जावेगी जो 50:50प्रतिशत राज्यांश एवं केन्द्रांश होगी।

परिशिष्ट–एक

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

दिनांक 23 फरवरी 2016

मछली पालन को अतिरिक्त आय के साधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है । कुल उपलब्ध जलक्षेत्र के 98 प्रतिशत में मछली पालन किया जा रहा है । वर्ष 2015 में कुल 4415 मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया और एक लाख 80 हजार से ज्यादा मछुआरों का दुर्घटना बीमा किया गया ।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुलभ करवाने के लिये 46 हजार 840 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड बनाये जा चुके है । 2108 मछुआ समिति गठित हैं । नगर तथा ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में 95 छोटे मछली बाजार का निर्माण करवाया गया है।

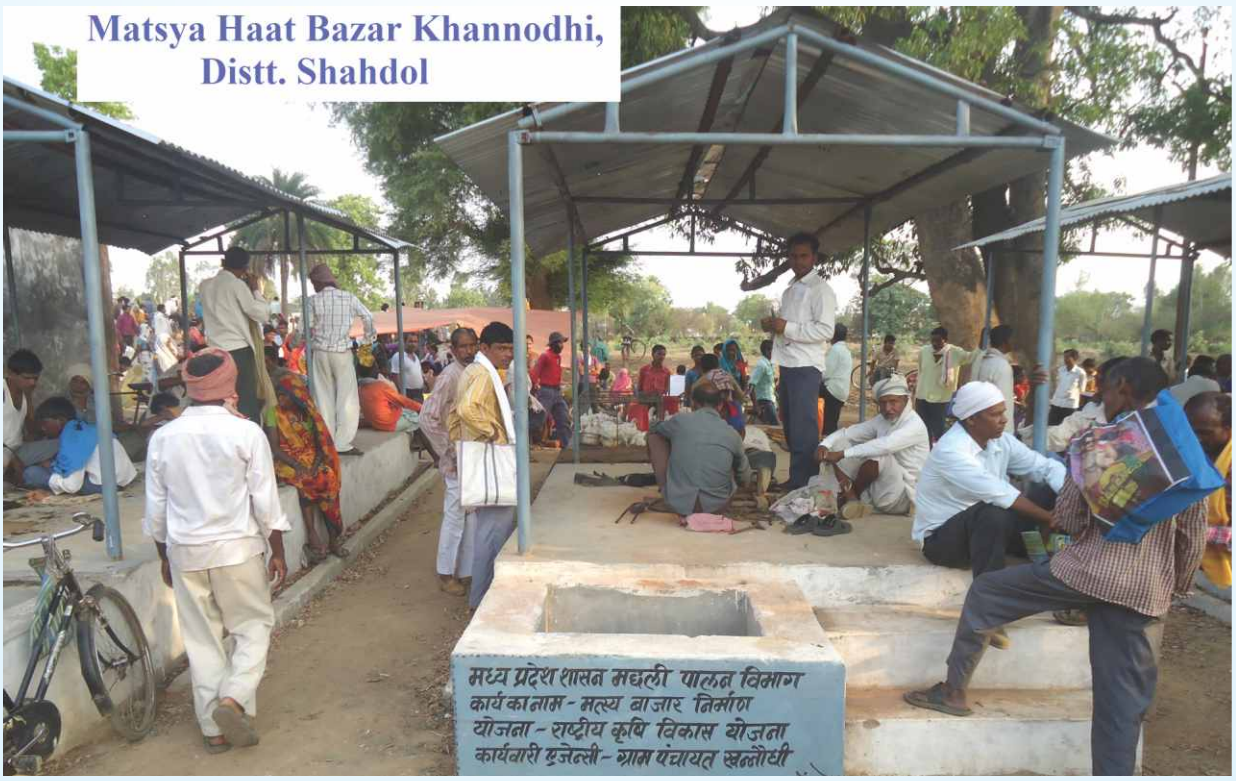

परिशिष्ट–दो

सिटीजन चार्टर

क्र.	कार्य/गतिविधि/ योजना का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है, उनका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1	विभागीय योजना/ योजनाओं/ कार्यक्रमों तथा निजी क्षेत्र में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास इकाई आदि की स्थापना हेतु जानकारी/ सलाह देना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
2	विभागीय जलाशयों में स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट करने की इच्छुक संस्थाओं/ समूहों के आवेदन पत्र पर कार्यवाही	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	7 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
3	त्रि–स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को तालाब पट्टे के प्रकरण प्रस्तुत करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
4	अनुदान प्रकरणों को जिला पंचायत को प्रस्तुत करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन

5	शिक्षण प्रशिक्षण के लिये हितग्राहियों का चयन ।				
	1– ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत से नामांकन करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का.अ. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
	2– प्रशिक्षण प्रारम्भ करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का.अ. मत्स्य कृषक विकास	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
6	मछुआरों/मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण पर भेजने हेतु नामांकन पंचायत से प्राप्त करना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
7	बीमित मछुआरा की मृत्यु /स्थाई अपंगता होने पर उसकी दुर्घटना बीमा राशि का प्रकरण तैयार करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
8	हितग्राहियों के मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास हेतु ऋण प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
9	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास तालाबों में मछलियों की बीमारी बाढ़ अन्य किसी समस्या के निराकरण हेतु सलाह देना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन

परिशिष्ट–तीन

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

मध्यप्रदेश एक दृष्टि में वर्ष 2016–17 (दिसंबर 2016 तक)

क्र.	विवरण		जलक्षेत्र (लाख हैक्टर)
1	मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध जलक्षेत्र		
	अ– सिंचाई		3.38
	ब– ग्रामीण		0.67
	योग		4.05
1.1	मत्स्य पालन अंतर्गत जलक्षेत्र		
	अ– सिंचाई		3.33
	ब– ग्रामीण		0.64
	योग		3.97
	नदियों एवं सहायक नदियों की लम्बाई किलोमीटर –		17,088
2	मत्स्य बीज उत्पादन के स्त्रोत		
2.1	हैचरी संख्या	69	
2.1.1	विभाग	34	
2.1.2	मत्स्य महासंघ	05	
2.1.3	निजी क्षेत्र	30	
2.2	संवर्धन जलक्षेत्र (हैक्टर)		
2.2.1	विभागीय मत्स्यबीज प्रक्षेत्र	120	119.92
2.2.2	विभाग अंतर्गत मौसमी संवर्धन जलक्षेत्र	33	41.00
2.2.3	मत्स्य महासंघ के मत्स्यबीज प्रक्षेत्र	05	22.50
	मत्स्य महासंघ का संवर्धन जलक्षेत्र	197	394.36

2.2.4	निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज प्रक्षेत्र / पोखर	333	387.13	
3	मत्स्यबीज की आवश्यकता स्टेण्डर्ड फ्राई (करोड़)		107.00	
3.1	मत्स्यबीज की पूर्ति स्टेण्डर्ड फ्राई (करोड़)		107.17	

4	मत्स्यबीज उत्पादन	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि (लाख)	प्रतिशत
	अ– स्पान	48,000	43,325.00	90.26
	ब– स्टेण्र्ड फ्राई	10,700	10716.57	100.15
5	मत्स्यबीज संचयन (स्टे.फ्राई)	9,214	9824.29	106.87
6	मत्स्योत्पादन (टन)	130000	86999.18	66.92

7 मछुआ सहकारिता

प्रदेश में कुल 2266 मछुआ सहकारी समितियाँ, सदस्य संख्या 84372

(दिसम्बर 2016 की स्थिति में)

क्र.	वर्ग	मछुआ सहकारी समितियाँ	
		समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य	1494	61092
2	अनुसूचित जनजाति	600	18253
3	अनुसूचित जाति	172	5027
	योग	2266	84372

उपरोक्त समितियों में महिला समिति 48 सदस्य संख्या 1632 शामिल है।

8	रोजगार सृजन (लाख)	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि (लाख)	प्रतिशत
	मानव दिवस	230	169.51	73.70
9	विभागीय आय	86.94	231.93	266.77
10	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को मत्स्य पालन से आय		153.80	
10.1	ग्रामीण तालाबों से		86.54	
10.2	सिंचाई जलाशयों से		67.26	

11. **मछुओं का दुर्घटना बीमा वर्ष 2016–17**

(दिसम्बर 2016 से एक वर्ष के लिए)

	वर्ग	लक्ष्य संख्या	पुरूष वर्ग	महिला वर्ग	कुल योग
अ	अनुसूचित जनजाति	46,397	30563	12773	43336
ब	अनुसूचित जाति	12,668	12416	5126	17542
स	सामान्य	1,21,923	88730	35325	124055
	योग	1,80,988	131709	53224	184933

12. **मछुआ–प्रशिक्षण (विभाग)**

(माह दिसम्बर 2016 तक)

	वर्ग	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या	प्रतिशत
अ	अनुसूचित जनजाति	1,331	1208	91
ब	अनुसूचित जाति	586	499	85
स	सामान्य	2,689	2324	86
	योग	4,606	4031	88

13. नवीन रूप से विकसित जलक्षेत्र

(माह दिसंबर 2016 तक)

क्र.	विवरण	ग्रामीण	निजी	सिंचाई	योग
1	तालाब (संख्या)	457	20	35	512
2	जलक्षेत्र (हेक्ट.)	838.34	4.70	1363.69	2206.73

14. मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता (अनुदानरूपये लाख मे)

(अ) विभाग

(माह दिसम्बर 2016 तक)

क्र.	वर्ग	आवंटन	विमुक्त राशि	व्यय	हितग्राही संख्या
1	सामान्य	49.10	44.19	40.41	828
1	अनुसूचित जनजाति मत्स्यपालक	25.90	23.31	22.12	467
2	अनुसूचित जाति मत्स्यपालक	7.85	7.06	5.69	231
	योग	82.85	74.56	68.22	1526

(ब) **मत्स्य कृषक विकास अभिकरण वर्ष 2016–17**

(माह दिसम्बर 2016 तक)

क्र.	विवरण	ऋण			अनुदान		
		लक्ष्य	स्वीकृत रूपये लाख में	लाभांवित हितग्राही	लक्ष्य	उपलब्धि	लाभांवित हितग्राही
1	मत्स्य कृषक	1036.11	1303.87	471	222.80	47.94	272

15. मत्स्य सहकारी समितियों को आर्थिक सहायताः–

(माह दिसम्बर 2016 तक)

क्र.	वर्ग	अनुदान (रू.लाख)				
		आवंटन	विमुक्त राशि	व्यय	समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य	81.42	73.28	68.35	244	6100
2	अनुसचित जनजाति	23.00	20.70	19.05	93	2325
3	अनुसूचित जाति	6.85	6.16	4.56	29	725
	योग	111.27	100.14	91.96	366	9150

16. बचत–सह–राहत

बचत–सह–राहत राष्ट्रीय योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में राज्यांश एवं केन्द्रांश की मद से रूपये 351.88 लाख की राशि का प्रावधान 19549 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने हेतु रखा गया है, जिसके विपक्ष में रूपये 290.15 का उपयोग कर 16120 मछुओं को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2016–17 में लाभान्वित हितग्राही सदस्यों की वर्गवार जानकारी निम्नानुसार है :–

(माह दिसम्बर 2016 तक)

वर्ग	हितग्राही संख्या	भुगतान की गई राशि (रूपये)
सामान्य	13807	248.53
अनुसूचित जाति	76	1.36
अनुसूचित जनजाति	2237	40.26
योग	**16120**	**290.15**

17. सिचांई/ग्रामीण तालाब पट्टा आवंटन

(माह दिसंबर 2016 तक)

क्र.	विवरण	सिंचाई जलाशय	ग्रामीण तालाब
अ	तालाब (संख्या)	79	494
ब	जलक्षेत्र (हैक्टर)	4016.41	941.50
स	हितग्राही (संख्या)	2068	2194

परिशिष्ट–चार

मत्स्योद्योग विभाग में सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मत्स्योद्योग विभाग में लागू किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत संचालनालय, जिला एवं विकासखंड स्तर पर निम्नानुसार अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, म.प्र.शासन मंत्रालय, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के आदेश क्रमांक 1740/म/36/2005 भोपाल, दिनांक 22.09.2005 के आदेशानुसार मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत संचालनालय स्तर पर संचालक मत्स्योद्योग म.प्र. को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला स्तर पर मत्स्योद्योग विभाग के लिये संबंधित जिलो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया है।

संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मत्स्योद्योग विभाग के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की संचालनालय में आदेश क्रमांक 2409–10/म/जला./2005 भोपाल दिनांक 20 सितम्बर 2005 से नियुक्ति की गई है ।

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	कार्यालय का नाम एवं दूरभाष क्रमांक	निवास का पता एवं दूरभाष क्रमांक
1	**लोक सूचना अधिकारी**		
1	श्री एच.के.खरे,, उप संचालक मत्स्योद्योग	संचालनालय मत्स्योद्योग मत्स्य प्रक्षेत्र भदभदा रोड भोपाल(म.प्र.) दूरभाष – 2777297	128 वैष्णव सुरेन्द्र पेलेस होशगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.)
2	**सहायक लोकसूचना अधिकारी**		
	श्री ए.के श्रीवास्तव सहायक संचालक मत्स्योद्योग	संचालनालय मत्स्योद्य मत्स्य प्रक्षेत्र भदभदा रोड भोपाल(म.प्र.) दूरभाष – 2777701	एफ.94/35 तुलसी नगर भोपाल

राज्यस्तरीय कार्यालयों के लिये संचालनालय के आदेश क्रमांक 2411/म/प्रका/2005–06 दिनांक 20 सितंबर 2005 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के अंतर्गत उप संचालक/सहायक संचालक मत्स्योघोग को जिले का लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कार्यालय में पदस्थ तकनीकी शाखा प्रभारी (सहायक मत्स्य अधिकारी/मत्स्यपालन प्रसार अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक) एवं विकासखंड स्तर पर (सहायक मत्स्य अधिकारी/मत्स्यपालन प्रसार अधिकारी/मत्स्य निरीक्षक) को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय कार्यालयों में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किये गए हैं :–

इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग भोपाल	अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग	अनुसंधान सहायक
कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान नौगाँव जिला छतरपुर	उप संचालक मत्स्योद्योग	प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी
कार्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग पौण्डी मैहर जिला सतना	उप संचालक मत्स्योद्योग	सहायक मत्स्य अधिकारी
कार्यालय मत्स्यालय अधिकारी भोपाल	मत्स्यालय अधिकारी	मत्स्यालय में पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी

वर्ष–2015–16 में सूचना के अधिकार अन्तर्गत आवेदको से जानकारी प्राप्त करने हेतु 41 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 41 ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदको को जानकारी प्रदाय की गई, जानकारी प्रदाय से रूपये 900/– शुल्क के रूप में विभाग में जमा किये गए।

वर्ष– 2016–17 में दिसम्बर 16 तक जानकारी प्राप्त करने हेतु 31 आवेदन प्राप्त हुऐ तथा रूपये 304 शुल्क विभाग में जमा किये गए।

भाग – सात

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015–16

(महिला खण्ड)

महिला समिति/महिला समूहों की मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास में भागीदारी वर्ष 2015–16

अ. अनुदान––

क्र.	विवरण	वर्ष 2015–16		
		अनुदान (रू. लाख)	समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	महिला मछुआ सहकारी समिति	0.50	07	135
2	महिला पिछड़ा मछुआ सहकारी समिति	0.18	01	40
3	महिला समूह	0.36	19	192
4	महिला पिछड़ा वर्ग समूह	0	0	0
5	महिला पिछड़ा वर्ग व्यक्ति	0.25	03	15

ब. महिला समिति/समूहो को तालाबएएवं जलाशय आवंटन वर्ष 2015–16

क्र.	विवरण	वर्ष 2015–16					
		ग्रामीण तालाब			सिंचाई जलाशय		
		तालाब संख्या	जलक्षेत्र (हेक्ट)	लाभांवित हितग्राही संख्या	तालाब संख्या	जलक्षेत्र (हेक्ट)	लाभांवित हितग्राही संख्या
1	महिला मछुआ सह.समिति	2	18.00	2/48	2	42.00	1/21
2	पिछड़ा मछुआ सह.समिति	0	0.00	0	0	0	0
3	महिला समूह	39	137.78	22/395	05	99.67	5/60
4	पिछड़ा वर्ग समूह/व्यक्ति	0	0.00	0	2	0.44	2/4
5	अल्प संख्यक समूह/व्यक्ति	0	0.00	0	0	0	0

स. महिला मछुआ सहकारी समिति का गठन–

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में महिला समिति/महिला समूह की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला मछुआ सहकारी समितियों का गठन कराया गया है । वर्तमान स्थिति में 48 महिला मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है, जिसकी सदस्य संख्या 1691 है । वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	महिला वर्ग	समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य मछुआ सहकारी समिति	31	1193
2	अनुसूचित जनजाति मछुआ सहकारी समिति	11	277
3	अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति	6	162
	योग	48	1632

द. महिलाओं का दुर्घटना बीमा––

वर्ष 2015–16 में पुरूष मत्स्य पालकों की भांति 53,371महिलाओं का दुर्घटना बीमा भी कराया गया है । यह संख्या प्रदेश में कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या 1,80,988 का 29.48 प्रतिशत है ।

ई. महिला स्वावलम्बन समूह (महिला वर्ग)–

वर्ष 2015–16 तक महिला स्वावलम्बन समूह की संख्या 75 है जिसकी सदस्य संख्या 755 है । जातिवार सदस्य संख्या निम्नानुसार है :–

क्र	वर्ग	समूह संख्या	सदस्य संख्या
1	अनुसूचित जाति	11	90
2	अनुसूचित जनजाति	44	443
3	पिछड़ा वर्ग	12	128
4	अल्प संख्यक वर्ग	0	0
5	सामान्य	8	94
	योग	75	755

भावी योजनाएं

उत्पादित मछली विक्रय हेतु वाहन व्यवस्था–

मछुआरों को मछली का उचित मूल्य दिलाने हेतु ऑटो रिक्शा, मोटर साईकल एवं साईकिल मय आईस बाक्स् के प्रदाय किये जाने का प्रावधान वर्ष 2017–18 से किया जा रहा है। जिससे मत्स्य कृषक मत्स्योत्पादन का उचित मूल्य बाजारों में प्राप्त कर सकें।

फीड मील–

मत्स्योत्पादन बढाने की दृष्टि से प्रदेश में मत्स्य आहार संयत्र की स्थापना निजी क्षेत्र में की जा रही है। जिसमें मत्स्य कृषकों को उन्नत किस्म का मत्स्य आहार प्राप्त कर मत्स्योत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्घि कर सकें।

सफलता की कहानी

श्री प्रहलाद कुमार तिवारी एफर्ट फिश फार्म ने वर्ष 2011 में श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह निवासी भोपाल की स्वयं की भूमि में श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह को सलाह देकर रूपये 18.00 लाख की लागत से 3.00 हेक्टेयर का 1 तालाब बनाया । वर्ष 2014 में रूपये 4.00 लाख की 1.20 लाख पंगेशियस मछली बीज संचय कर पालन किया जिसमें 82.00 में. टन पंगेशियस मछली उत्पादन किया जिससे लगभग 25.00 लाख शुद्ध आय प्राप्त हुई।

वर्ष 2015 में श्री अशोक कुमार सोनी निवासी भोपाल की 2.00 हेक्टेयर भूमि 10 वर्ष हेतु लीज पर लेकर उक्त आय 25.00 लाख की लागत से एक तालाब का निर्माण ग्राम थुआखेडा तहसील हुजूर जिला भोपाल में निर्मित कराया गया, तथा उसमें 2.10 लाख पंगेशियस मछली का बीज संचित कर पालन किया गया । वर्तमान में उसमें 300 ग्राम से 800 ग्राम वजन तक की मछली हो गई है। तालाब में लगभग 95 में. टन पंगेशियस है। मछली का बीज क्रय करण, मजदूरी तथा मत्स्य आहार में अभी तक रूपये 17.50 लाख की राशि व्यय हो चुकी है । लागत निकालकर वर्तमान में लगभग रूपये 58.50 लाख की आय सम्भावित है।

सफलता की कहानी

- **मत्स्य कृषक का नाम–** – श्री भैयालाल सिंह गोंड़
- **पिता का नाम––** – श्री छोटा सिंह
- **ग्राम–** – नेउसा
- **विकास खण्ड–** – पुष्पराजगढ
- **निर्मित संवर्धनक्षेत्र–** – 0.50 है.
- **योजना का नाम–** – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से म.बीज संवर्धन का निर्माण ।

श्री भैयालाल गोंड़ द्वारा निर्मित संवर्धन क्षेत्र 0.50 हे0 में विगत चार वर्षो से मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। उक्त प्रक्षेत्र से प्रति वर्ष लगभग 15 से 20 लाख फ्राई का उत्पादन लिया जा रहा है। श्री भैयालाल सिंह गोंड़ को वर्ष 2012–13 में 5.00 लाख ऋण सी0बी0आई0 बैंक से 2.50 लाख शासन व्दारा निर्धारित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत निहित प्रावधान के तहत उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2012–13 में संवर्धन क्षेत्र निर्मित कर मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया ।

शासन से प्राप्त ऋण को निर्धारित अवधि में चुकता किया जा रहा है। मत्स्य बीज उत्पादन से प्राप्त आय से अपने स्वंय के उपयोग हेतु जाल खरीदा गया। श्री भैयालाला सिंह गोंड़ व्दारा क्रय किये गये जाल का उपयोग कर आस पास के क्षेत्रों में मत्स्याखेट का कार्य भी किया जाता है जिससे कि स्वंय के प्रक्षेत्र से प्राप्त आय के अतिरिक्त आय का अन्य स्त्रोत भी उपलब्ध हो गया। श्री भैयालाल गोंड व्दारा मिनाक्षी तालाब का भी निर्माण मनरेगा से किया गया। बचे हुये बीज को तालाब में डालकर मछली का भी विक्रय आस–पास के ग्रामीण बाजारों में किया जाता है एवं उससे आय प्राप्त की जाती है।

श्री भैयालाल सिंह गोंड़ व्दारा किये जाने वाले मत्स्यपालन की आर्थिक विवरण एक नजर में निम्नानुसार है :–

आय का ब्यौरा–

क्र.	वर्ष	संचित स्पान (लाख में)	फ्राई (लाख में)	आय (रू.लाख में)
1	2013–14	46.00	13.80	2.07
2	2014–15	50.00	12.00	2.00
3	2015–16	50.00	15.00	2.25

कृषक का ब्यौरा–

पूर्व की स्थिति	वर्तमान की स्थिति
1. गरीबी रेखा अन्तर्गत	वार्षिक आय लगभग रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष (मत्स्य बीज एवं मत्स्य विक्रय से)
	दो पहिया वाहन, मोबाईल आदि क्रय कर चुके है। मकान बनाया, प्राप्त आय से पैकिंग शेड एवं डीजल पंप क्रय कर सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है ।

सफलता की कहानी

- **मत्स्य कृषक का नाम–** – श्री रमेश मॉझी
- **पिता का नाम–** – श्री पुसऊ मांझी
- **ग्राम–** – खुटारा
- **विकास खण्ड–** – मानपुरा जिला उमरिया (म0प्र0)
- **योजनान्तर्गत हितग्राही–** – निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन
- **उत्पादित जल क्षेत्र–** – 1.50 हेक्टेयर

श्री रमेश मॉझी मछली पालन व्यवसाय में संलग्न से पूर्व बेरोजगार थे। शासन द्वारा संचालित मत्स्य पालन की योजनाओ की जानकारी मत्स्योद्योग कार्यालय से सम्पर्क करने पर मत्स्य उत्पादन की तकनीकी एंव अन्य जानकारी रमेश मॉझी को प्रदान की गई इससे उनकी मत्स्य पालन के प्रति रूची जाग्रत हुई तथा सर्व प्रथम ड्राय बन्ध में रोहू, मृगल प्रजाति की बीडिग सम्पन्न कर 2 लाख स्पान से 65 हजार फ्राई का उत्पादन कर रूपये 3000 की आय प्राप्त हुई । मत्स्य बीज उत्पादन कार्य से प्राप्त आय में चार एकड जमीन क्रय कर अतिरिक्त संर्वधन क्षेत्र का विकास किया गया। विगत 6 वर्षो में निम्नानुसार मत्स्य बीज से आय प्राप्त की गई :–

आय का ब्यौरा–

वर्ष	विक्रय मत्स्य बीज स्पॉन लाख में	विक्रय मत्स्य बीज स्टेण्डर्ड फ्राई लाख	कुल प्राप्त आय रू. लाख स्पॉन मत्स्य बीज से	उत्पादन पर कियागया व्यय	आय (रूपये में)
2011–12	161.00	32.00	3,300,00.00	92,000	2,38,000
2012–13	238.00	45.00	5,05,400.00	1,15,000	3,90,400
2013–14	142.00	50.00	6,00,00.00	1,50,000	4,50,000
2014–15	0.50	20.00	2,40,000.00	1,20,000	1,20,000
2015–16	200.00	40.00	6,25,000.00	1,50,000	4,75,000
2016–17	200.00	50.00	7,00,000.00	2,00,000	5,30,000

श्री रमेश मॉझी द्वारा बिना किसी वित्तीय सहायता के उपरोक्तानुसार सफलतापूर्वक कार्य विभागीय देख रेख में किया जा रहा है। श्री रमेश मॉझी वर्तमान में राज्य स्तरीय एक सफल मत्स्य बीज उत्पादक है। वर्ष 2006–07 में माननीय मंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सर्वश्रेष्ठ मछली उत्पादनकर्ता का प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया।

सफलता की कहानी

माझी मत्स्योधोग सहकारी समिति धौल (जिला–बैतूल)

स्पॉन उत्पादनएएंव नर्सरी निर्माण कर समिति ने बनाई पहचान—

जिला मुख्यालय से 15 कि0मी0 दूर पर स्थिति ग्राम धौल विकाश खण्ड बैतूल की पंजीयन मॉझी मत्स्योधोग सहकारी समिति धौल पंजीयन क्रमांक 1364 दिनॉक 11.04.1997 के युवा एंव उर्जावान सदस्य /श्री माधोराव नानकर एवं समिति के युवा सदस्यों द्वारा परम्परागत मत्स्य पालन से आगे नवीन रूप से मत्स्य पालन कर रहे है। **माझी सहकारी समिति धौल जिला बैतूल** द्वारा पट्टे पर आंवटित उडदन एंव झारकुण्ड जलाशय जिनका जल क्षेत्र क्रमशः 40.01 एंव 51.00 हैक्टेयर जलक्षेत्र है।

समिति द्वारा उडदन द्वारा उडदन जलाशय के समीप स्थित 5 खदानो में स्पान सर्वधन कर 4.00 लाख फिगंरलिंग का उत्पादन कर जलाशयो मे संचय किया गया है। संचित मत्स्यबीज से समिति को रूपये 4.30 लाख की बचत हुई । वर्ष 2016–17 में समिति द्वारा विभाग में स्पान प्राप्त कर 13.00 लाख फ्राई का उत्पादन किया गया।

झारकुण्ड जलाशय— जलक्षेत्र 51.00 हैक्टेर में सिल्वर एंव मिरगल मछली का उत्पादन लिया जा रहा है। विगत 05 वर्षो का समिति द्वारा किया गया मत्स्योत्पादन :–

वर्ष	उत्पादन किलो ग्राम	शुद्ध आय रूपयों में
2011–12	12571	528470/–
2012–13	25150	880560/–
2013–14	27500	1100000/–
2014–15	18500	700000/–
2015–16	18000	650000/–

समिति अध्यक्ष एंव युवा सदस्यों की उपलब्धियॉं—

1. स्पॉन संचयन उत्पादन एंव संचयन हेतु जलाशय के समीप 05 छोटी नर्सरी का निर्माण किया गया ।

2. समिति सदस्यों को तीन समूह में क्रमशः दोनो जलाशयों की देखभाल हेतु तैनात किया जाता है।

3. समिति सदस्यों द्वारा एक साथ दोपहर का भोजन, जलाशय से प्राप्त आय से किया जाता है।

4. इस वर्ष समिति सदस्यो द्वारा 4x13 फिट की 10 नाव का स्वयं निर्माण किया गया एवं मत्स्योधोग सहकारी समिति खेडीकोर्ट को 02 नाव रूपये 24,000/– में तथा समिति खेडीसावलीगढ को 01 नाव रू– 12,000 /–में विक्रय की गई ।

5. **विशेष** – समिति के 18 सदस्यो के पास रहने के लिए स्वयं की भूमि नही थी, समिति सदस्यों द्वारा इन सदस्यों के लिए ग्राम में 18 प्लाट क्रय किये गये है। इन मत्स्य कृषकों को मछली पालन विभाग द्वारा मछुआ आवास योजना अन्तर्गत 75,000/–हजार अनुदान पर इस वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण हेतु राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

6. उडदन एंव रावनवाडी जलाशय के समीप मनरेगा योजनान्तर्गत पेरीफेरी पौण्डी का निर्माण किया गया जिसमें उर्जावान सदस्य श्री मोहन /श्री माधोराव नानकर एंव समिति के युवा सदस्यों द्वारा परम्परागत रूप से मत्स्य पालन न करते हुए नवनिर्मित पेरीफेरी पौण्ड में स्पॉन संवर्धन कर फिंगरलिंग मत्स्यबीज उत्पादन काकार्य किया गया जो जिले के अन्य मत्स्य कृषको के लिए प्रेरणा का कार्य है। जिले के कृषको द्वारा आगामी वर्षो में पट्टे पर आवंटित जलाशयों पर कार्य करने हेतु प्रेरणा प्राप्त की गई ।

भाग– आठ
मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल

म.प्र. मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, का गठन राज्य शासन व्दारा, मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप गठन किया गया है । इस का पंजीयन क्रमांक भोपाल/मुख्यालय/195 दिनांक 5.5.1987 है, तथा मुख्यालय भदभदा मत्स्यबीज प्रक्षेत्र, भोपाल पर स्थित है । राज्य शासन व्दारा दिनांक 31.07.99 को मत्स्य विकास निगम का समापन कर उसका संविलियन समस्त आस्तियाँ एवं दायित्वों सहित मत्स्य महासंघ में किया गया।

मत्स्य महासंघ की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 1000 लाख है, माह मार्च 2016 में राज्यश्शासन की अंशपूंजी रूपये 117.77 लाख अन्य अंश रुपये 2.37 लाख कुल रु.119.61 लाख का धनवेष्ठन है।

1. प्रमुख उद्देश्यः :–

1000 हेक्टयर से बड़े जलाशयों का प्रबंधन सहकारिता के माध्यम से करते हुऐ मत्स्य सहकारी समिति के सदस्य मछुआरों एवं उनके परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना।

2. प्रशासकीय ढ़ांचाः :–

मत्स्य महासंघ के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु संचालक मण्डल गठित है। महासंघ की गतिविधियों के संचालन हेतु मुख्यालय में प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक तथा सचिव सहित 7 प्रबन्धकीय अमला उपलब्ध है । महासंघ की 9 क्षेत्रीय इकाईयां यथा भोपाल, बाणसागर, बरगी, गांधीसागर, इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, मड़ीखेडा एवं राजघाट तथा राजधाट–सागर में अवस्थित है, जिनके माध्यम से मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्योत्पादन,मत्स्यबीज संचय, मत्स्य विक्रय, मछुआ कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एंव सभी विकास संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते है । माह दिसम्बर 2016 की स्थिति में मत्स्य महासंघ का वर्तमान स्वीकृत 296 पद के विरूद्ध अमला 157 **कार्यरत्** है, जिसका श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है :– **क्रमांक**	**श्रेणी**	**कार्यरत संख्या**
1	प्रथम	05
2	द्वितीय	09
3	तृतीय	61
4	चतुर्थ	81
योग		**157**

काम–काज समिति के सदस्य
वर्ष 2016–17

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
1	श्री अंतर सिंह आर्य, मंत्री, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, म.प्र. शासन एवं अध्यक्ष मत्स्य महासंघ	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि, मंत्रालय–भोपाल	सदस्य
5	आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐ, म.प्र. भोपाल अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
6	मुख्य क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, क्षेत्रीय निदेशालय, ए–8 तृतीय तल प्लेटिनम प्लाजा टी.टी. नगर भोपाल	सदस्य
7	सदस्य,नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (पर्यावरण एवं वन) अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि, नर्मदा भवन 59 जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल	सदस्य
8	संचालक मत्स्योद्योग, म.प्र. भोपाल	सदस्य
9	प्रबंध संचालक, म.प्र. मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित भोपाल	सदस्य सचिव

मुख्यालय की संरचना

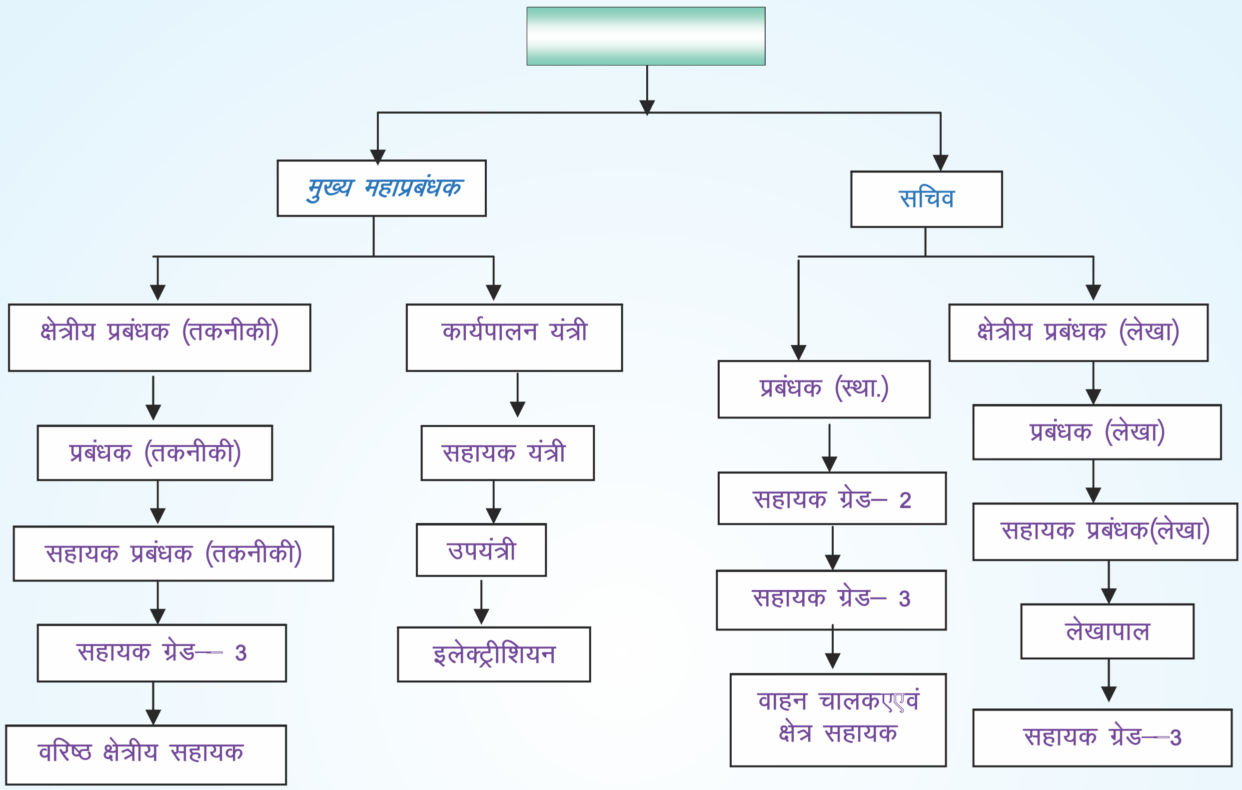

क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

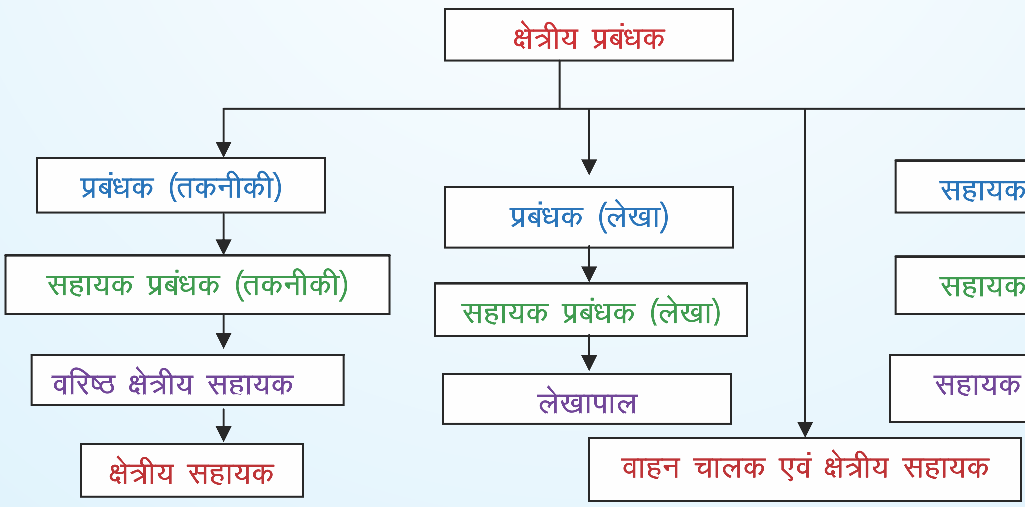

मत्स्य महासंघ अन्तर्गत स्वीकृत तथा कार्यरत अमला
(31 दिसम्बर 2016 की स्थिति)

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	विवरण
1	प्रबंध सचालक	1	1	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
प्रथम श्रेणी				
2	मुख्य महाप्रबंधक	1	–	संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग विभाग – प्रतिनियुक्ति से पूर्ति।
3	सचिव	1	1	संयुक्त पंजीयक स्तर के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर।
4	क्षेत्रीय प्रबंधक (तक.)	7	**2**	
5	कार्यपालन यंत्री	1	1	
6	क्षेत्रीय प्रबंधक (लेखा.)	1	0	
	योग	**12**	**5**	
द्वितीय श्रेणी				
7	प्रबंधक (तक.)	11	5	
8	प्रबंधक (लेखा.)	5	3	
9	अनुभाग अधिकारी	1	0	
10	सहायक यंत्री	1	1	
	योग	**18**	**9**	
तृतीय श्रेणी				
11	सहायक प्रबंधक (तक)	36	20	
12	सहायक प्रबंधक (लेखा)	10	7	
13	सहायक प्रबंधक (स्था.)	1	1	
14	उपयंत्री	1	–	
15	स्टेनोग्राफर	1	1	
16	सहायक ग्रेड–दो	15	7	
17	लेखापाल	19	10	
18	सहायक ग्रेड–तीन कम कम्प्यूटर आपरेटर	21	7	
19	मैकेनिक	1	–	
20	आइस प्लांट आपरेटर	2	–	
21	इलेक्ट्रीशियन	1	1	
22	वाहन चालक	24	7	
	योग	**132**	**61**	
चतुर्थ श्रेणी				
23	कारपेंटर	3	02	
24	वरि.क्षेत्रीय सहायक	42	16	
25	क्षेत्रीय सहायक	89	63	
	योग	**134**	**82**	
	कुलयोग	**296**	**157**	

महासंघ के अधिनस्थ जलाशयों की जिलेवार स्थिति

कार्यालय संबंधी जानकारी

क्र.	जलाशय का नाम	बांध स्थल के जिले का नाम	डूब क्षेत्र के जिले	इकाई प्रभारियों के नाम एवं कार्यालय का पता
1.	गांधीसागर	मंदसौर	1.मंदसौर 2.नीमच	*श्री अरविंद तिवारी, प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, (तक.)* मत्स्य महासंघ (सह) मर्यादित, गांधीसागर कॉलोनी, नं–8, जिला–मंदसौर (म.प्र.) 458771 दूरभाष क्र. 07427–239106 मो. 9425108036
2. 3.	इन्दिरासागर मान	खण्डवा धार	1. खण्डवा 2. देवास 3. हरदा 1. धार	*श्री पी.एल,गौर प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, (तक.)* मत्स्य महासंघ (सह.मर्यादित,नर्मदानगर जिला–खंडवा, (म.प्र.) –450119 दूरभाष क्र. 07323–284905 मो .9893429707
4. 5. 6.	बरगी भीमगढ़ थावर	जबलपुर सिवनी मण्डला	1. जबलपुर 2. मण्डला 3. सिवनी 1. मण्डला	*श्री सी.बी. मोहने प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक,* मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,प्रेमनगर,पोस्ट आफिस के पीछे,मदन महल,जबलपुर, (म.प्र.) –482001 दूरभाष क्र.0761–2420558 मो. 9425624169
7.	बांणसागर	शहडोल	1. शहडोल 2. उमरिया 3. सतना	*श्री दिलीप सिंह क्षेत्रीय प्रबंधक,* मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,देवलोंद जिला शहडोल, (म.प्र.)–484001 दूरभाष क्र. 07650–268348 मो 9179073375
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	तवा हलाली बारना कोलार केरवां सगढ़ संजय सागर	होशंगाबाद रायसेन रायसेन सीहोर भोपाल विदिशा विदिशा	1होशंगाबाद 2रायसेन,भोपाल 1. रायसेन 1. सीहोर 1.भोपाल 1. विदिशा 1.विदिशा	*श्री एम.जेड. सिद्दकी प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक,* मत्स्य महासंघ (सह.)मर्यादित,भदभदा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, भदभदा रोड, भोपाल,(म.प्र.)–462003 दूरभाष क्र. 0755–2773770 मो. 9425026009
15.	ओंकारेश्वर	खण्डवा	1. खण्डवा 2. खरगोन 3. देवास	*श्री अनिल शिंदे , प्रभारी प्रबंधक, (तक.)* मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,मेन रोड़ गणेश नगर, ओंकारेश्वर जिला खण्डवा (म.प्र)– 450554 दूरभाष क्र.07280–290563 मो. 9406680316
16. 17. 18.	मड़ीखेड़ा हरसी मोहिनी	शिवपुरी ग्वालियर शिवपुरी	1. शिवपुरी	*श्री बी.के. मिश्रा, प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक* , मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,सिंध परियोजना कार्यालय परिसर,फील्ड होस्टल,छत्री के सामने,शिवपुरी (म.प्र)–473551 मोबाईल क्र. 9423335705
19. 20.	राजघाट–चंदेरी कुटनी	अशोक नगर छतरपुर	1. अशोकनगर 1.छतरपुर	*श्री व्ही.के राय ,क्षेत्रीय प्रबंधक,* मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,साडा कालोनी, मकान नं.–10 न्यू बस स्टैण्ड के पास चंदेरी जिला–अशोकनगर (म.प्र) मोबाईल क्र. 9425744073
21.	राजघाट–सागर	सागर	1.सागर	*श्री सतीश श्रीवास्तव प्रभारी प्रबंधक, (तक.)* मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, एम.आई.जी. 25 राजीव नगर तिली रोड सागर मो. 9424625371
22.	माही	धार एवं झाबुआ	1.धार	*श्री पी.एल,गौर प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, (तक.)* मत्स्य महासंघ (सह.मर्यादित,नर्मदानगर जिला–खंडवा, (म.प्र.) –450119 दूरभाष क्र. 07323–284905 मो .9893429707

3. उपलब्ध जल संसाधन

वर्ष 2015–16 महासंघ को, शासन द्वारा पॉच जलाशय यथा हरसी, मोहिनी, राजघाट–सागर सगढ़ एंव माही मत्स्य पालन हेतु हस्तांतरित किये गये थे। इन हस्तांतरित नये जलाशयों के साथ वर्तमान में मत्स्य महासंघ के अधीन 22 जलाशय हो गये है जिनका कुल औसत जलक्षेत्र लगभग 2.13 लाख हेक्टे. हो गया है। वर्ष 2015–16 में कुटनी,संजय सागर,थावर,मान जलाशय (जलक्षेत्र 1751.88 हेक्ट.) महासंघ को हस्तांतरित हुये है। मत्स्यबीज उत्पादन हेतु 5 मत्स्यबीज प्रक्षेत्र (जलक्षेत्र 27.50 हेक्टेयर) तथा जलाशय की परिधि में लगभग 197 ग्रामीण पोखर (जलक्षेत्र लगभग 394.36 हेक्टेयर) उपलब्ध है :–

उपलब्ध जल संसाधनों का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.	जलाशय		मत्स्यबीज प्रक्षेत्र		संवर्धन पोखर	
	जलाशय का नाम	जलक्षेत्र (हे.)	नाम	जलक्षेत्र (हे.)	संख्या	जलक्षेत्र (हे.)
1	इंदिरासागर	59029	–	–	17	33.00
2	गांधीसागर	41318	नीमथूर	1.50	52	100.00
3	बाणसागर	31685	बाणसागर	10.00	55	133.00
4	बरगी	16649	बरगी	8.00	20	25.00
5	तवा	12145	पवारखेड़ा	5.50	5	6.00
6	ओंकारेश्वर	8000	–	–	13	7.50
7	हलाली	4795	भदभदा	2.50	6	6.00
8	बारना	4791	–	–	5	12.94
9	भीमगढ़	2328	–	–	6	14.00
10	कोलार	1928	–	–	3	3.92
11	केरवां	347	–	–	–	–
12	मड़ीखेड़ा	3298	–	–	5	15.50
13	राजघाट	15676	–	–	10	37.50
14	हरसी	1502.50	–	–	–	–
15	मोहनी	1022.00				
16	राजधाट (सागर)	1144.00	–	–	–	–
17	सगढ (विदिशा)	1068.12	–	–	–	–
18	माही (जिला धार)	1487.69	–	–	–	–
19	कुटनी (छतरपुर)	1211.00	–	–	–	–
20	संजय सागर	1126.00	–	–	–	–
21	थावर (मंडला)	1297.00	–	–	–	–
22	मान (जिला धार)	1014.00	–	–	–	–
योग		**212861.98**		**27.50**	**197**	**394.36**

4. भौतिक उपलब्धियां

4.1 स्पॉन उत्पादन –

महासंघ के अधीन उपलब्ध हैचरियों से वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में माह **दिसम्बर 2016** तक उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

(इकाई लाख)

क्र	प्रक्षेत्र	वर्ष 15–16		वर्ष 15–16	
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2016 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2016 तक)
1	नीमथुर	900	906.00	900	337.00
2	भदभदा	1000	405.00	1000	403.00
3	पंवारखेड़ा	800	628.00	800	656.00
4	बरगी	600	604.00	600	784.00
5	बणसागर	700	603.00	700	712.00
योग		**4000**	**3146.00**	**4000**	**2892.00**

4.2 स्टेण्डर्ड फ्राई उत्पादन –

मत्स्य महासंघ के पास उपलब्ध संवर्धन क्षेत्रों से वर्ष **2015–16** एवं वर्ष **2016–17** में स्टे. फ्राई उत्पादन माह **मार्च 2016** एंव **माह दिसम्बर 2016** तक उपलब्धियां निम्नानुसार हैः–

(लाख में)

क्र	इकाई	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2016 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2016 तक)	प्रतिशत
1	गांधीसागर	225.00	11.312	125	14.679	11.74
2	इन्दिरासागर	66.00	66.632	50	44.900	89.98
3	बाणसागर	316.00	327.281	220	179.343	81.52
4	बरगी,भीमगढ	168.00	170.429	170	222.580	130.93
5	पवारखेड़ा	72.00	2.720	20	14.00	70.00
6	भदभदा–भोपाल	75.00	4.372	15	31.800	212.00

7	ओंकारेश्वर	24.00	0.000			
8	मड़ीखेडा	32.00	0.000			
9	राजघाट	76.00	0.000			
10	हरसी	14.00	0.000			
11	मोहनी	12.00	0.000			
12	केरवां	0	0.000			
	योग	**1080**	**582.746**	**600**	**507.392**	**84.70**

4.3 मत्स्य बीज संचय –

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु जलाशयों में प्रतिवर्ष अच्छी गुणवत्ता एवं बडी साईज का मत्स्य बीज का संचयन किया जा रहा है। वर्ष **2015–16** एवं वर्ष **2016–17** में मत्स्य बीज संचय हेतु निर्धारित लक्ष्यों के विपक्ष में क्रमशः माह **मार्च 2016** तक एंव **माह दिसम्बर 2016** तक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हे, संचय कार्य जारी है।

(लाख में)

क्र	जलाशय	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2016 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2016 तक)	प्रतिशत
1	गांधीसागर	125	55.400	125	44.966	35.97
2	इन्दिरासागर	177	194.859	177	154.840	87.48
3	बाणसागर	158	163.640	158	96.550	61.11
4	बरगी	84	77.802	84	85.082	101.29
5	भीमगढ़	12	7.413	12	16.141	134.51
6	तवा	0	0	0	0	0
7	हलाली	24	12.180	24	10.704	44.60
8	बारना	24	24.267	24	25.180	104.92
9	कोलार	10	6.615	10	0	0
10	केंरवा	3	1.972	3	0.50	16.67
11	ओंकारेश्वर	25	25.583	25	0.115	0.46
12	मड़ीखेड़ा	16.50	16.680	16.50	0	0

13	राजघाट	78	78.230	78	50.232	64.40
14	हरसी	7.50	7.562	7.50	0	0
15	मोहनी	5.00	7.224	5	5.091	101.82
16	राजधाट–सागर	6.00	6.040	6	6.505	108.42
17	सगढ विदिशा	5.00	7.524	5	1.695	33.90
18	माही	7.00	4.910	7	0	0
19	कुटनी	0	5.280	10	12.039	120.39
20	संजय सागर	0	0	10	3.343	33.47
21	थावर	0	0	10	13.532	135.32
22	मान	0	0	10	0.320	3.20
योग		**767**	**706.181**		**526.839**	**65.28**

4.4 मत्स्य उत्पादन –

- जलाशयों में मत्स्याखेट का कार्य मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है तथा आखेटित मत्स्य का विक्रय आऊट सोर्स नियुक्त कर उसके माध्यम से किया जाता है। मछुओं को आखेटित मछली पर श्रेणी अनुसार रू. **26/–** एवं रू. **15/–** प्रति किलो की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। जो देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में मत्स्य उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के विपक्ष में क्रमशः माह **मार्च 2016** तक एंव माह **दिसम्बर 2016** तक की उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

जलाशयवार मत्स्य उत्पादन (टन में)

क्र	जलाशय	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2016 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2016 तक)	प्रतिशत
1	गांधीसागर	2500	5239.614	3800	2772.552	72.96
2	इन्दिरासागर	1590	2955.670	3000	2275.291	75.84
3	बाणसागर	800	662.034	700	527.600	75.37
4	बरगी	400	210.171	300	165.612	55.20
5	भीमगढ़	30	57.766	50	18.971	37.94
6	तवा	0	0	0	0	0
7	हलाली	250	211.029	300	351.155	117.05
8	बारना	150	116.269	150	79.109	52.74
9	कोलार	75	38.967	100	28.962	28.96
10	केंरवा	5	9.008	5	11.436	228.72
11	ओंकारेश्वर	50	24.212	50	33.128	66.26
12	मड़ीखेड़ा	50	132.424	100	57.389	57.39
13	राजघाट	300	204.557	200	119.082	59.54
14	हरसी	50	27.530	50	17.036	34.07
15	मोहनी	40	12.724	40	30.409	76.02
16	राजधाट–सागर	35	39.357	40	26.011	65.03
17	सगढ विदिशा	10	10.455	10	2.286	22.86
18	माही	15	1.658	15	0.230	1.53
19	कुटनी	0	0	20	80.785	403.93
20	संजय सागर	0	0	20	0	0
21	थावर	0	0	40	8.155	20.39
22	मन	0	0	10	2.023	20.23
योग		**6350**	**9953.445**	**9000**	**6607.222**	**73.41**

5. मछुआ सहकारिता :–

कार्यरत मछुए एवं रोजगार सृजन

- महासंघ के जलाशयों में मत्स्य उत्पादन का कार्य पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है।
- मार्च 2016 की स्थिति में महासंघ के जलाशयों हेतु **212 मत्स्य** समितियाँ (सदस्य संख्या 10709) पंजीकृत हैं। इसमें से केवल 172 मत्स्य समितियाँ (सदस्य संख्या 7206) क्रियाशील हैं।
- मार्च 2016 की स्थिति में महासंघ के जलाशयों में 172 मत्स्य सहकारी समितियों के लगभग 2777 औसत मछुआरों द्वारा 254 दिवस मत्स्याखेट कार्य किया गया एवं 7,05,161 मानव दिवस का सृजन हुआ।
- महासंघ के जलाशयों में कार्यरत प्रति मछुऐ को माह **मार्च 2016 की स्थिति में** प्रति दिन रूपये **402/–** की आय प्राप्त हुई।

शासन की योजनाओं अन्तर्गत लाभांवित मछुओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

(इकाई संख्या)

क्र.	योजना विवरण	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2016 तक)
1	2	3	4	5	6
1	क्रेडिट कार्ड योजना (संख्या)	1200	451	500	0
2.	दुर्घटना बीमा	15000	14679	16000	14842
3.	बचत सह राहत	4000	4588	4500	4240

6.2 मत्स्य महासंघ द्वारा पोषित योजनाऐं :–

6.2.1 जनश्री बीमा योजना :–

योजना अन्तर्गत बीमित मछुओं की कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने, पूर्ण अशक्तता होने पर तथा दो आँखों या दो अंगों की हानि होने पर रुपये 75,000, एक आँख या एक अंग की हानि होने पर रुपये 37,500, तथा प्राकृतिक मृत्यु होने पर रुपये 30,000 की राशि आश्रितों को देय होती है। इसके अतिरिक्त इस योजना में मछुओं के 9 वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत दो बच्चों को हर छः माह में 600 रूपये की छात्रवृत्ति देय होती है।

वर्ष 2015–16 मे **माह मार्च 2016** तक 7101 मछुओं एंव वर्ष 2016–17 में योजनांतर्गत **दिसम्बर 2016** तक 6848 मछुओं को बीमित किया गया है।

6.2. आजीविका सहयोग योजना (*डेफर्ड वेजेस योजना*):–

योजना अन्तर्गत मछुआरों व्दारा वर्ष 2015–16 से आखेटित मछली पर रू. 3.00 प्रति किलो की दर से राशि उनके मत्स्याखेट प्रतिफल से काटी जाकर उतनी ही राशि (रुपये दो प्रति किलो) महासंघ व्दारा मिलाकर कुल राशि 6.00 रुपये प्रति किलो के मान से बन्द ऋतु दौरान एक या दो किश्तों में मछुओं को भुगतान की जाती है। वर्ष 2015–16 मे रू. 545.85 लाख का भुगतान मछुओं को किया गया है।

वर्ष 2016–17 में माह **दिसम्बर 2016** तक योजनांतर्गत, उत्पादन के आधार पर 364.38 लाख का डैफर्ड वैजैस देने का आंकलन बनता है।

6.2.3 जलदीप योजना :–

योजनान्तर्गत जलाशय के टापुओं एवं दूरस्थ आंतरिक किनारों पर मत्स्याखेट हेतु अस्थाई रूप से निवास करने वाले मछुओं को शासन की विभिन्न विभागीय योजनाओं (स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग आदि) का लाभ उनके कार्य स्थल पर ही उपलब्ध कराने की दृष्टि से महासंघ द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभाग के अधिकारियों के दल एवं सामग्री के परिवहन की व्यवस्था की जाकर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। वर्ष 2015–16 में **5538** मछुओं को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2016–17 **माह दिसम्बर 2016** तक 2451 मछुओं को लाभान्वित किया गया ,कार्य जारी हैं।

क्र.य	योजनाएं	2015–16		2015–16	
		लक्ष्य	उपलब्धि मार्च 2016 तक	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2016 तक)
1	2	3	4	5	6
1	जनश्री बीमा (संख्या)	6000	7101	6500	6848
2.	डिफर्ड वेजेस (लाख रू.)	430	545.85	540.0	364.38
3.	जलदीप योजना (मछुआ संख्या)	5000	5538	5000	2451

6.2.4 नाव–जाल प्रदाय हेतु 80–20 अनुदान योजना :–

योजना अन्तर्गत मछुओं को महासंघ द्वारा नाव–जाल के लिये 80 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। जाल क्रय हेतु 1 वर्ष में एक मछुए को उनकी योग्यता के आधार पर 10/15/– किलो जाल, पर क्रमशः रू. 4800/– एंव रू. 7200/– का अनुदान राशि दी जाती है। इसी प्रकार नाव हेतु 5 वर्ष में 2 मछुओं के बीच एक नाव मूल्य रू. 8000, 10000, 12000 पर नाव चयन के आधार पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2014–15 में 3500 मछुओं को रू. 154.00 लाख का भुगतान योजनांतर्गत किया गया है। इस वर्ष 2015–16 में योजनांतर्गत 201.394 लाख अनुदान राशि मछुओं को नाव–जाल हेतु वितरित की गई जिससे **3188** मछुऐ लाभांवित हुये।

6.2.5 गंभीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना :–

योजना अन्तर्गत महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों एंव उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारीयां जैसे केसंर, हृदय रोग, किडनी रोग आदि 22 बीमारियों के इलाज हेतु अधिकतम 20 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। है। वर्ष 2014–15 में राजघाट जलाशय के एक मछुआ को रू. 20,000/– का भुगतान योजनांतर्गत किया गया है। इस वर्ष 2015–16 योजनांतर्गत 9 मछुआ सदस्यों को राशि 1,46,117/– का भुगतान किया गया।

6.2.6 शिक्षा प्रोत्साहन योजना :–

योजनान्तर्गत महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों के शिक्षारत बच्चे जिनके द्वारा कक्षा 8वीं, 10वीं एंव 12वीं कक्षा में प्रथम एंव दितीय श्रेणी में उतीर्ण की हो, को क्रमशः राशि रू. 2000 एवं रू. 1000 क्रमशः प्रोत्साहन राशि पुरुस्कार स्वरूप दी जाती है। 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 5000/– रूपये का विशेष पुरूस्कार देने का प्रावधान भी इस वर्ष से प्रारंभ किया है। वर्ष 2015–16 में माह **मार्च 2016** तक कुल 326 बच्चों को राशि रू. 5.96 लाख का भुगतान योजनांतर्गत किया गया है। वर्ष 2016–17 में माह **दिसम्बर 2016** तक कुल 371 बच्चों को राशि रू. 7.07 लाख का भुगतान योजनांतर्गत किया गया है।

6.2.7 प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना :–

इस वर्ष योजनांतर्गत 16 लाख राशि का प्रावधान रखा गया है। महासंघ द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों के साथ–साथ उत्कृष्ट मछुआरों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। **वर्ष 2015–16 में 19 समितियों, 151 मछुआरों को पुरस्कार स्वरूप लगभग रू. 14.67 लाख की राशि वितरित की गई, । वर्ष 2016–17 में** माह **दिसम्बर 2016** तक कुल **19 समितियों, 182 मछुआरों को पुरस्कार स्वरूप लगभग रू. 16.30 लाख की राशि वितरित की गई, ।**

7. मत्स्य महासंघ की वित्तीय स्थिति :–

7.1 – मत्स्य महासंघ एक स्ववित्त पोषी सहकारी संस्था है जिसे अपने नियमित कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य शासन अथवा अन्य वित्तीय संस्था से कोई अनुदान राशि प्राप्त नही होती है।

7.2 – वर्ष 2015–16 (**माह मार्च 2016** तक) की स्थिति एंव वर्ष 2016–17 में माह **दिसम्बर 2016** तक आय–व्यय एवं लाभ की जानकारी इस प्रकार है :–

आय–व्यय पत्रक (लाख में)

क्र.	विवरण	2015–16 (मार्च 2016 तक)	उपलब्धि (दिसम्बर 2016 तक)
1	आय	5476.53	2471.19
2	व्यय	1803.53	1350.86
3	लाभ	**3673.00**	**1120.33**

नोटः– मत्स्य महासंघ का वर्ष 2014–15 तक का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है तथाशशत–प्रतिशत अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण कार्य लगभग पूर्ण अवस्था में है।

विशेष उपलब्धियाँ :–

- महासंघ के जलाशयों का मत्स्य उत्पादन 27 किग्रा / हैक्टेयर से बढ़कर लगभग 54.00 किग्रा / हैक्टेयर हो गया, जो राष्ट्रीय उत्पादन 12.50 किग्रा / हैक्टेयर की तुलना में 332 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2015–16 में 10735.445 टन मत्स्य उत्पादन अर्जित, जो गत वर्ष से लगभग 8: अधिक।
- आजीविका सहयोग योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 में मछुओं को रू. 372.026 लाख की राशि वितरण, जो वर्ष 2015–16 माह मार्च 2016 तक रू. 545.85 लाख आंकलन हो गई है। (47 प्रतिशत वृद्धि)
- 80:20 अनुदान योजना अंतर्गत मत्स्य महासंघ के अर्जित लाभ में से वर्ष 2014–15 में 2596 मछुआरों को रू. 153.93 लाख का अनुदान वितरित। वर्ष 2015–16 में योजना अर्न्तगत 201.394 लाख का अनुदान वितरित किया गया।
- मत्स्य महासंघ की सकल जमा राशि मार्च 2015 में रू. 18 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 की स्थिति में रू. 54 करोड़ हुई।
- एन.एम.पी.एस योजना अन्तर्गत, 3 जलाशयों के 4 केजों का निर्माण कर, उससे अतिरिक्त लगभग 671.342 टन मत्स्य उत्पादन प्राप्त हुआ है।

उपलब्धि में वृद्धि हेतु किये गये विशेष प्रयासः–

- जलाशयों में अच्छी गुणवत्ता वाले अधिक मत्स्य बीज का संचयन सुनिश्चित किया गया।
- मछुओं को विशेष कल्याणकारी योजनाओं का अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया जिससे उनके पास कार्य हेतु अधिक मात्रा में जाल एव नाव उपलब्ध कराये गये।
- मत्स्याखेट पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की गई जिससे मछुओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर का उन्नयन हुआ।

भविष्य में किये जाने वाले विशेष प्रयास :–

- वैज्ञानिकों के परामर्श अनुसार जलाशयों में अच्छी गुणवत्ता वाले अधिक मत्स्य बीज का संचयन सुनिश्चित किया जावेगा।
- मछुओं को मत्स्याखेट संसाधनों जैसे – नाव एवं जाल के विकास हेतु मछुआ कल्याणकारी योजनाओं में अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- आवश्यकतानुसार मत्स्याखेट पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की जावेगी।

मध्यप्रदेश मत्स्य
20वीं